
₹ 15
हिन्दी भाषियों की मासिक पत्रिका
क्रान्ति
मार्च 2011



रहबरे सनअत व तिजारत की प्रस्तुति

उर्दू में कारोबारी किताबें

सोप और डिटजेन्ट इंडस्ट्रीज : ●साबुन बनाने के लिए मशीनें ●छोटे पैमाने पर कपड़े धोने का साबुन ●नहाने का साबुन ●गिलिसरीन सोप ●डिटर्जेन्ट पाउडर व केक और लिक्यूड डिटर्जेन्ट ●फिलानाइ ●टर्की रेड आयल ●और बहुत कुछ ●बनाने के तरीक़े और कच्चे माल की उपलब्धता की जानकारी।

मूल्य 75 रुपये मात्र

फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ : ●शरबत की तैयारी ●फलों की सुरक्षा ●टमाटर सॉस ●जैम व जेली ●चटनी व अचार ●आइस्क्रीम ●शूगर कैंडी ●सिरका ●आलू चिप्स ●फूड प्रोसेसिंग के कच्चे माल सप्लायर के पते व अन्य विषय।

मूल्य 75 रुपये मात्र

रबड़ व प्लास्टिक इंडस्ट्रीज : ●प्लास्टिक की बोतल ●कंघी ●बटन ●जूते ●रद्दी प्लास्टिक से प्लास्टिक दाने की तैयारी ●पी॰वी॰सी॰ ●प्लास्टिक फीता ●प्लास्टिक डोरी ●केन ●डिस्पोज़ल कप ●गिलास ●रेन कोट व स्कूल बैग ●रंग-बिरंगे गुब्बारे ●बालटी और दूसरे बर्तन ●कच्चे माल की जानकारी।

मूल्य 95 रुपये मात्र

●बकरी पालन और उसका कारोबार– **मूल्य 25 रुपये मात्र**

●मुर्ग़ी पालन गाइड– **मूल्य 25 रुपये मात्र**

हमारे कुछ विशेषांक

●स्पोर्ट्स नम्बर ●कामयाब कारोबारी नम्बर ●सिल्वर जुबली नम्बर ●महिला रोज़गार नम्बर ●छोटे पैमाने के लाभदायक व्यावसाय– भाग 1 और 2

मिलने का पता

रहबरे सनअत व तिजारत
24C, बाइट इस्ट्रीट, कोलकाता-700017
फ़ोन : 22806152, मोबाइल : 9331001824

आपकी आशाओं का सुन्दर प्रतिबिम्ब

हिन्दी भाषियों की मासिक पत्रिका

कान्ति

वर्ष 20 अंक 9 मार्च 2011

ऐ ईमान लाने वालो ! अल्लाह के लिए ख़ूब उठने वाले, इन्साफ़ की निगरानी करने वाले बनो और ऐसा न हो कि किसी गिरोह की शत्रुता तुम्हें इस बात पर उभार दे कि तुम इन्साफ़ करना छोड़ दो । (कुरआन, 5:8)

संपादक

डॉ० मुहम्मद अहमद

अपने विचार, लेख, रचनाएं भेजने एवं संपादकीय मामलों के लिए लिखें–

संपादक, 'कान्ति' मासिक

डी-314, दावत नगर, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव

जामिया नगर, नयी दिल्ली–110025

ई मेल editorkanti@yahoo.com

* * *

ख़रीदार बनने, एजेंसी लेने, प्रचार-प्रसार एवं प्रबंधकीय मामलों के लिए लिखें–

प्रबंधक, 'कान्ति' मासिक

डी-314, दावत नगर, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव

जामिया नगर, नयी दिल्ली–110025

फोन–(011)–26949430

ई मेल kantimasik@gmail.com

सहयोग राशि

एक प्रति रु० 15/- विशेषांक रु० 25/-

वार्षिक रु० 160/-

दो वर्ष 300/- पांच वर्ष 700/-

सऊदी अरब और खाड़ी के देशों से–60 रियाल

यूरोप व अमेरिका से–25 US डॉलर

नोट–चेक / ड्राफ्ट **'मासिक कान्ति'** के नाम से बनवाएं

कहां क्या है ?

कुरआन ज्योति 5

अल्लाह पर भरोसा (हदीस मंजरी) 6

निर्दोषों की रिहाई सुनिश्चित करें (संपादकीय) 7

वास्तविकता का आलोक (आपके पत्र) 8

नेकी के सिपाही –तालिब हाशमी 10

ब्रह्मांड : ज्योतिषशास्त्र बनाम अंतरिक्ष विज्ञान

–सैयद वक़ार अहमद हुसैनी 13

हिन्दू धर्म और इस्लाम –अभिजीत कुमार 17

इस्लाम में धार्मिक सहिष्णुता

–मुस्तफ़ा हसनी अस्सबाई 21

चहचहाने का सबक़ (लघुकथा)

–मुहम्मद चांद 24

मानव-सुधार और इस्लाम –राजेन्द्र नारायण लाल 26-27

सुसमाज की स्थापना और इस्लाम

–मुहम्मद ज़ैनुल आबिदीन मंसूरी

–मुशर्रफ़ अली 33

अफ़लातूनों की बस्ती (कहानी)

–इक़बाल अंसारी 39

विश्व कप क्रिकेट की कहानी

–ए० एन० शिबली 42

इस्लाम में मानवाधिकार की सुरक्षा के लिए प्रावधान

–मौलाना अबुल आला मौदूदी 46

INFORMATION BROCHURE



- Almanar Social Service a registered society. Bridging the gap between giving and receiving ends.

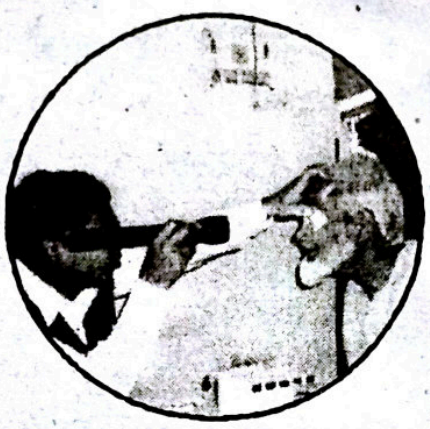

- Working in the field of education, health and employment generation.
- A unique charitable institution in Jharkhand.

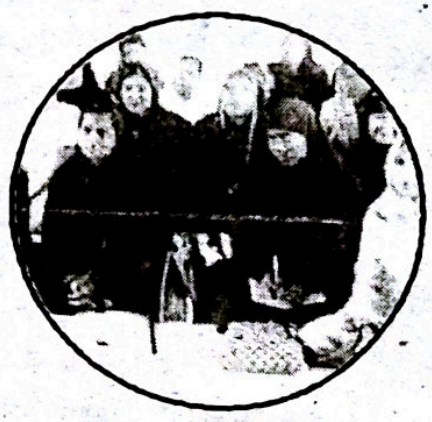

- Projects in progress : Model primary school, Health

المنار سوشل سروس

Almanar Social Service

(An NGO registered societies Act XXI of 1860

President
Abul Arif
(M.Sc.)

Office : Jharna Road, Near Eidgaah Azadnagar,
Jamshedpur-832110
Tel. : +91-657-6542806, +91-9279149654

Secretary
Haider Imam
(B.com. PG Dip)

Our Bank A/c No. 29601010007675
CANARA BANK
Kabir Memorial School, Zakir Nagar, Mango, Jamshedpur (Jharkhand)

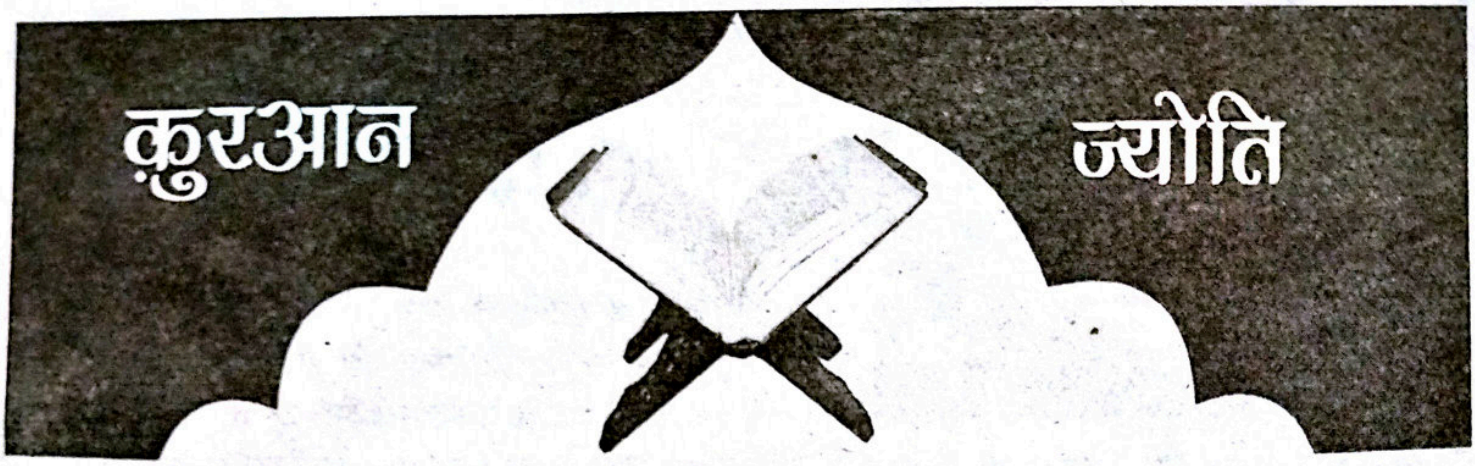

(7,8) याद करो वह अवसर जबकि अल्लाह तुमसे वादा कर रहा था कि दोनों गिरोहों में से एक तुम्हें मिल जाएगा।[5] तुम चाहते थे कि कमज़ोर गिरोह तुम्हें मिले[6], मगर अल्लाह का इरादा यह था कि अपने कथनों से सत्य को सत्य कर दिखाये और काफ़िरों (विरोधियों) की जड़ काट दे, ताकि सत्य सत्य होकर रहे और असत्य असत्य होकर रह जाए भले ही अपराधियों को यह कितना ही अप्रिय हो।[7]

–क़ुरआन, 8 : 5-7

5. अर्थात क़ुरैश का व्यापारिक क़ाफ़िला जो शाम (सीरिया) की ओर से आ रहा था या क़ुरैश की सेना जो मक्का से आ रही थी।

6. अर्थात क़ाफ़िला जिसके साथ केवल 30-40 रक्षक थे।

7. इससे अनुमान किया जा सकता है कि उस समय वास्तव में परिस्थिति क्या बन गयी थी। क़ुरैश की सेना के निकल आने से वास्तव में प्रश्न यह उठ खड़ा हुआ था कि इस्लामी संदेश और अज्ञानपूर्ण व्यवस्था दोनों में से किसको अरब में जीवित रहना है। अगर मुसलमान उस समय वीरतापूर्वक मुक़ाबले के लिए न निकलते तो इस्लाम के लिए जीवित रहने का कोई अवसर बाक़ी न रहता। इसके विपरीत मुसलमानों के निकलने और पहले ही भरपूर वार में क़ुरैश की शक्ति पर गहरी चोट लगा देने से ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गयीं जिनके कारण इस्लाम को क़दम जमाने का मौक़ा मिल गया और फिर उसके मुक़ाबले में अज्ञानपूर्ण व्यवस्था लगातार पराजित होती चली गयी।

पवित्र क़ुरआन
को इंटरनेट पर पढ़िए
www.quranhindi.com

मारूफ़
शू पैलेस
जी॰ई॰ रोड, बस स्टैंड, बी॰एम॰वाई॰
चरौदा, दुर्ग (छत्तीसगढ़)
फ़ोन : 0788-6534786

मक़सूद भाई मोबाइल : 9406090786
एस॰के॰ इंटरप्राइजेज
होल सेल शू मर्चेन्ट
अलंकार कम्पलेक्स के निकट
कैम्प-2, भिलाई, (छत्तीसगढ़)
फ़ोन : 0788 6535786



अल्लाह तआला पर भरोसा

● हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि॰) से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने कहा : "हर दिन जब बन्दे प्रात:काल उठते हैं तो अवश्य ही दो फ़रिश्ते उतरते हैं । उनमें से एक कहता है : ऐ अल्लाह, ख़र्च करने वाले को, उसका बदला प्रदान कर और दूसरा कहता है : ऐ अल्लाह, अपना माल रोक रखने वाले को तबाही में डाल दे ।"

–बुख़ारी, मुस्लिम

● हज़रत अबू उमामह सुदै बिन अज़लान (रज़ि॰) से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने कहा : "ऐ आदम के बेटे तुम्हारे पास तुम्हारी अपनी आवश्यकता से जो अधिक माल हो उसे (अल्लाह की राह में) ख़र्च करो, तो यह तुम्हारे लिए अच्छा है और यदि तुम उसे रोकोगे तो यह तुम्हारे लिए बुरा है । आवश्यकता के अनुसार अपने पास माल रखने में तुम निदिंत नहीं ठहराए जाओगे और (ख़र्च करना) आरंभ करो उनसे जो तुम पर आश्रित हैं । और ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से अच्छा है ।"

–मुस्लिम

● हज़रत अबू कबसह उमर बिन सअद अल-अनमारी (रज़ि॰) से रिवायत है कि उन्होंने अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) को यह कहते हुए सुना : "तीन चीज़ें ऐसी हैं जिन पर मैं क़सम खाता हूं और उसे भली-भांति याद रखो जो मैं तुम्हें बताता हूं : सदक़ा से किसी बन्दे का माल कम नहीं होता, जिस बन्दे पर जुल्म किया जाए और वह उस पर सब्र करे, तो अल्लाह इससे उसकी इज़्ज़त (सम्मान) ही बढ़ाता है, और जो बन्दा अपने लिए (भीख) मांगने का द्वार खोलता है, तो अवश्य ही अल्लाह उस पर दरिद्रता का द्वार खोल देता है । (या आपने इसी तरह के कुछ अन्य शब्द प्रयोग किये) और मैं तुमको जो कहता हूं उसे अच्छी तरह याद रखो ।" (आपने कहा) : दुनिया में लोग चार प्रकार के होते हैं :

एक वह बन्दा जिसको अल्लाह तआला ने माल और ज्ञान दिया हो वह इसके प्रति अल्लाह का भय रखता हो । वह इसमें नाते-रिश्ते को भी जोड़ता है और इसमें अल्लाह का भी हक़ पहचानता है । ऐसा व्यक्ति सबसे श्रेष्ठ दर्जे पर है । और एक वह बन्दा है जिसको अल्लाह ने ज्ञान दिया लेकिन उसे माल नहीं दिया और वह नीयत का सच्चा है, वह कहता है कि अगर मेरे पास माल होता, तो मैं फलां व्यक्ति की तरह काम करता । अत: वह अपनी नीयत के साथ है और पहले व्यक्ति और इस दूसरे व्यक्ति के लिए समान प्रतिदान मिलेगा ।

और एक बन्दा वह है जिसको अल्लाह ने माल दिया लेकिन उसे ज्ञान नहीं दिया, तो वह ज्ञान के बिना अपने माल में गड़बड़ करता है, उसके सिलसिले में अल्लाह का भय नहीं रखता और वह उससे न तो नाते-रिश्ते को जोड़ता है और न उसमें अल्लाह का कोई हक़ पहचानता है । ऐसा व्यक्ति सबसे बुरे दर्जे पर है ।

और एक बन्दा वह है जिसे अल्लाह ने न तो माल दिया और न ज्ञान दिया और वह कहता है कि यदि मेरे पास माल हो, तो मैं भी फ़लां (अति सुखभोगी) व्यक्ति की तरह काम करता । यह है उसकी नीयत, तो ये दोनों गुनाह में बराबर होंगे ।

–तिरमिज़ी

● हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि॰) से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने कहा : "अल्लाह तआला कहता है : ऐ आदम के बेटे, ख़र्च कर तुझ पर भी ख़र्च किया जाएगा ।"

–बुख़ारी, मुस्लिम

इस्लाम-परिचय
हिन्दी वेबसाइटें
www.islamdharma.org
www.islamicwebdunia.com
www.islamic-videos.com

संपादकीय

निर्दोषों की रिहाई सुनिश्चित करें

हमारे देश के संविधान में मौलिक अधिकारों का पर्याप्त संरक्षण मौजूद है । इसके बावजूद यह आम प्रचलन है कि व्यक्ति को उसके संगठन के तौर-तरीक़े के मद्देनज़र देखा, परखा और उसके साथ व्यवहार किया जाता है । अगर संगठन किसी कारण से प्रतिबंधित है, तो व्यक्ति को उससे जुड़े होने के आधार पर दोषी मान लिया जाता रहा है चाहे उसके व्यक्तिगत कार्य कितने ही सर्जनात्मक और सार्थक हों, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फ़ैसले के द्वारा इस स्थिति को बदल दिया है । जस्टिस मार्केण्डेय काटजू और जस्टिस ज्ञानसुधा मिश्रा की एक बेंच ने गत 3 फ़रवरी 2011 को अपने एक फ़ैसले में कहा है कि किसी प्रतिबंधित संगठन का सदस्य होने से ही व्यक्ति को अपराधी नहीं माना जा सकता । अरुण भूयन बनाम असम सरकार नामक मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कई पहलुओं का बारीकी से जायज़ा लिया । पुलिस ने अरुण भूयन पर प्रतिबंधित संगठन उल्फ़ा का सदस्य होने का आरोप लगाकर उन्हें टाडा के तहत गिरफ़्तार कर लिया था । उनसे जबरन अपराध स्वीकार करने वाले बयान लिये गये और विशेष कोर्ट में मामला पेश किया गया, जिसने 28 मार्च 2007 को पुलिस के सारे मनगढ़ंत बयानों व तथ्यों को सही मानकर सज़ा सुना दी थी । इसके ख़िलाफ़ अरुण भूयन ने सुप्रीम कोर्ट में अपील (संख्या 889/2007) की और आतंकवादी एवं विध्वंसक गतिविधि (निवारक) क़ानून 1987 की धारा-3(5) को चुनौती दी, जिसके तहत उन्हें सज़ा दी गयी थी । कोर्ट ने अपने फ़ैसले में इस सच्चाई को भी उजागर किया कि अपराध को स्वीकार करना एक कमज़ोर प्रमाण के रूप में सामने आता है ।

कोर्ट के अनुसार, हम जानते हैं कि भारत में पुलिस अपराध को स्वीकार करवाने के लिए यातनाएं देती है, थर्ड डिग्री इस्तेमाल करती है । आदरणीय जजों ने कहा कि इस स्थिति में कथित आरोपी द्वारा अपराध-स्वीकृति के बारे में कोर्ट को सावधान रहना पड़ेगा । जजों ने कहा कि हमारे देश की पुलिस वैज्ञानिक अनुसंधान में निपुण नहीं है । उसके पास इस अनुसंधान के लिए तकनीकी उपकरण भी उपलब्ध नहीं है । टार्चर एक ऐसी भयावह चीज़ है, जिसके द्वारा प्रायः सभी अपराधों की स्वीकारोक्ति संभव है । फिर संगठन के द्वारा किसी व्यक्ति को अपराधी नहीं माना जा सकता है, जब तक कि वह हिंसा न करे या हिंसा के लिए लोगों को न उभारे या ऐसा कोई काम न करे जिससे अव्यवस्था उत्पन्न होती हो या जनशांति भंग होती हो । (ऐसी ही बात केदारनाथ बनाम बिहार राज्य विवाद के फ़ैसले में कही गयी थी–ए॰आई॰आर॰ 1962, एस॰एस॰सी॰ 955, पैरा 26) कोर्ट ने अमेरिकी कोर्टों के कई ऐसे फ़ैसलों के हवाले दिये, जिनमें व्यक्ति और संगठन को अलग-अलग माना गया । इनमें एक उदाहरण यूनाइटेड स्टेट्स बनाम यूगेन फैंक रोबेल (389 U.S. 258) का विवाद है, जिसमें अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य द्वारा रक्षा सेवाओं में मात्र नौकरी हासिल कर लेने को आपराधिक कृत्य नहीं ठहराया जा सकता । स्पष्ट है कि सुप्रीम कोर्ट का ताज़ा फ़ैसला ऐसे निर्दोष नागरिकों के लिए वरदान साबित हो सकता था, जो 'संगठन के आधार पर' जेलों में क़ैद हैं, लेकिन केन्द्र सरकार इसे निरस्त करवाने के लिए सरगर्म है । अगर यह फ़ैसला रद्द होता है, तो मानवाधिकार संरक्षण के इस पहलू पर सवालिय निशान लगा रहेगा । अतः सरकार को चाहिए कि उक्त फ़ैसले का आदर करते हुए सभी निर्दोष नागरिकों की रिहाई सुनिश्चित करे ।

वास्तविकता का आलोक

विशेषांक अभिक्रांत हुआ, उपहत हूं । इस अंक के संपादकीय से पूरी तरह सहमत हूं । प्रकाशित सभी आलेख वास्तविकता को आलोक में ले आते हैं । संतुलित आलेखों (जो कि वास्तविकता है) से स्पष्ट है कि मुस्लिम भाइयों का पक्ष सही रूप में पेश नहीं किया जा सका । इतिहास के कुछ पन्ने भी इसी तथ्य को उजागर करते हैं ।

अभिराम सत्यज्ञ जयशील
हथुआ (बिहार)

तर्क और सुझाव

'कान्ति' मासिक का विशेषांक "अयोध्या फ़ैसला : प्रभाव और परिणाम" पढ़ा । काफ़ी अच्छा लगा । विभिन्न विचारकों के विचार पढ़ने का अवसर मिला । लोगों ने अपनी-अपनी राय दी है, तर्क और सुझाव प्रस्तुत किये हैं ।

मेरे विचार से मंदिर-मस्जिद का विवाद खड़ा कर आपस में लड़ना ठीक नहीं । न्याय के आधार पर इस विवाद का फ़ैसला किया जाना चाहिए ।

यशपाल जैन 'आदर्श'
राजापार्क, जयपुर

'कान्ति' की सफलता

मासिक 'कान्ति' का दिसम्बर 2010-जनवरी 2011 का 'अयोध्या फ़ैसला : प्रभाव और परिणाम" पर संयुक्तांक रचनात्मक तथा सराहनीय प्रयास है । इस विशेषांक में साम्प्रदायिक पूर्वाग्रहों से ऊपर उठकर संबंधित विषयों पर लेखकों ने साफ़गोई और ईमानदारी से इज़हारे ख़याल किया है । विशेषांक प्रकाशन का मक़सद इस मुद्दे पर सच्ची तस्वीर लोगों के सामने पेश करना है जिसमें 'कान्ति' परिवार सफल है ।

विद्या प्रकाश
-जौनपुर (उ०प्र०)

कुछ बिन्दु

'कान्ति' का "अयोध्या फ़ैसला : प्रभाव और परिणाम" विशेषांक पढ़ने से निम्नलिखित तथ्य सामने आते हैं-

-किसी भी पक्ष ने ज़मीन के बंटवारे की मांग नहीं की थी, फिर भी कोर्ट द्वारा यह बंटवारा किया गया ।
- संबंधित ज़मीन न तो बाबरी मस्जिद ने क्रय की थी और न ही मंदिर ने क्रय की ।
- वर्तमान अयोध्या वह अयोध्या नहीं है, जहां राम का जन्म हुआ था । उसे तो गंगा किनारे होना चाहिए था ।
- वहां पर मंदिर धार्मिक नियमों की अनदेखी करते हुए बना है ।
- खोदाई में जैन मूर्तियां भी निकली थीं, क्योंकि उस क्षेत्र से जैनों के पांच तीर्थंकर मृत्यु को प्राप्त हुए थे ।
- बाबरी मस्जिद, मंदिर पर बनायी गयी अथवा महल पर यह स्पष्ट नहीं होता ।

उक्त कारण अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, जिनके परिदृश्य में माननीय न्यायाधीशों ने फ़ैसला दिया । यह फ़ैसला दोनों वर्गों को राज़ी कर लेगा, इसमें शंका ही है । ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को ही अंतिम फ़ैसला करना है, जिससे यह विवाद हमेशा के लिए समाप्त हो सके ।

घेवरचन्द गोदीका
जयपुर, राजस्थान

इबादत

अल्लाह ने मनुष्य को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, लेकिन आज मनुष्य को पास उसकी इबादत के लिए समय नहीं है । मनुष्य दुनिया के कामों में और दुनिया समेटने में बड़ा व्यस्त है । इसके पीछे इबादत के बारे में ग़लत धारणा भी काम कर रही है ।

इबादत कोई सीमित शब्द नहीं है, जिसे नमाज़-रोज़ा तक ही समझा जाए, बल्कि ईश्वर के आदेशों के अनुसार जीवन बिताना ही इबादत है ।

ईश्वर के आदेशों के अनुसार बीवी-बच्चों के साथ रहना आजीविका चलाने के लिए प्रयास करना भी इबादत है ।

अल्लाह के बताए हुए तरीक़े पर काम करने से जीवन भी सफल होता है और आख़िरत में भी अच्छा बदला मिलता है ।

ज़हीर
रामपुर (यू०पी०)

AL-HERA LIBRARY

(Run and Managed by **Sabiha Welfare Trust,** Registration No. 5418/4603)

Near Road No. 10, Main Road, Jawahar Nagar, P.O. Azadnagar,
Mango, Jamshedpur-832110, Jharkhand (INDIA)
E-mail : al_hera_library@sify.com, Mob. : 09334634662, 09204000609

APPEAL

An academic library named **"AL-HERA LIBRARY"** was established in 2004 to uplift the education standard in the downtrodden people of the society. Now it is running under **"SABIHA WELFARE TRUST" Regn. no. 5418/4603, PAN No. AAITS2377J.** This is the only academic library in approx. 8 lakhs populated area, it works progressively and achieving its goal day by day. It was started with 75 books only & after 6 consecutive years it reaches 4656 books. But still it requires your support to fulfill the student's requirements. Apart from that library also works for carrier counseling, AIDS awareness, blood donation, quiz contest etc.

The president of the library received **CMD** (chairman and managing director) award 2006 in the category of **"CORPORATE RESPONSIBILITY"** from Cummins in India held at Pune. Visit **(orkut.com>search>type al hera library).**

Here is the kind request to all of you that please bring your hand forward for this noble cause to serve the students for their glorious future and make our country developed and strong through education.

You are requested to send your donations to :
A/C name : SABIHA WELFARE TRUST
Bank name : STATE BANK OF INDIA
Branch : Bistupur, Jamshedpur, Jharkhand
A/C no. : 30573132872

May Allah give you returns, Inshallah, Ameen

PRESIDENT
MD. SHAHNAWAZ QUAMAR

हज़रत उम्मे मिस्तह (रज़ि॰)

❖ तालिब हाशमी

हज़रत उम्मे मिस्तह (रज़ि॰) एक मशहूर सहाबिया हैं। उन्होंने बहुत ही शुरुआती दौर में इस्लाम क़ुबूल कर लिया था। वह बहुत ही नेक और शरीफ़ महिला थीं। अक़ीदे की दृष्टि से बहुत ही परिपक्व एवं सुदृढ़ थीं। उन्होंने अपने बेटे हज़रत मिस्तह (रज़ि॰) के ख़िलाफ़ गवाही दी थी जिसके कारण उन पर हद मुक़र्रर की गयी थी।

हज़रत उम्मे मिस्तह (रज़ि॰) हज़रत मिस्तह बिन उसासा (रज़ि॰) की मां और हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ (रज़ि॰) की ख़ाला थीं। (कुछ रिवायतों में उन्हें हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ (रज़ि॰) की ख़लेरी बहन बताया गया है।)

कहते हैं कि अफ़क ही घटना में जब मुनाफ़िक़ों ने हज़रत आइशा सिद्दीक़ा (रज़ि॰) की पाकदामनी पर उंगुली उठायी और बोहतान बांधा तो कुछ सीधे-सादे मुसलमान भी उनके जाल में फंस गये। हज़रत मिस्तह (रज़ि॰) भी उन भोले-भाले मुसलमानों में से एक थे। बनू मुस्तलक़ के युद्ध से जब वे घर वापस आये तो उन्होंने सारी बातें अपनी मां हज़रत उम्मे मिस्तह (रज़ि॰) को सुनायी।

हज़रत आइशा सिद्दीक़ा (रज़ि॰) के ख़िलाफ़ ऐसा बोहतान सुनकर वह भड़क उठीं और अपने बेटे को बहुत बुरा-भला कहा। उन्हें इस घटना से इतनी तकलीफ़ पहुंची कि उन्होंने इसे अपने दिल पर ले लिया।

उन्हीं दिनों की बात है। एक बार हज़रत उम्मे मिस्तह (रज़ि॰), उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा सिद्दीक़ा (रज़ि॰) के साथ कहीं जा रही थीं। हज़रत उम्मे मिस्तह (रज़ि॰) को रास्ते में किसी चीज़ से ठोकर लगी और वह लड़खड़ा कर गिरने लगीं। उनका दिल बेटे से पहले ही बहुत दुखी था। उनके मुंह से अनायास ही अपने बेटे के लिए बददुआ निकली। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा सिद्दीक़ा (रज़ि॰) ने उन्हें टोकते हुए कहा :

"अम्मा ! आपके बेटे हज़रत मिस्तह (रज़ि॰) एक बद्री सहाबी हैं, आप उनको बददुआ देती हैं !"

"अल्लाह उसे ग़ारत करे। वह लोगों के बहकावे में आ गया है और उसमें भागीदार बन गया है।"

कहती हुई उन्होंने सारी बातें हज़रत आइशा सिद्दीक़ा (रज़ि॰) को कह सुनायी।

जब अल्लाह तआला ने हज़रत आइशा (रज़ि॰) की पाकदामनी की पुष्टि कर दी तो हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ (रज़ि॰) हज़रत मिस्तह (रज़ि॰) से बहुत नाराज़ हुए। उनकी नाराज़गी का एक कारण तो यह था कि हज़रत मिस्तह (रज़ि॰) उनके बहुत ही क़रीबी रिश्तेदार थे।

दूसरा कारण यह था कि हज़रत अबू बक्र (रज़ि॰) उन्हें आर्थिक सहायता भी दिया करते थे। इतना कुछ होने के बावजूद वे मुनाफ़िक़ों के बहकावे में आ गये थे। इसी नाराज़गी के कारण हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ (रज़ि॰) ने उनकी सहायता रोक दी। इस पर अल्लाह तआला ने यह आयत नाज़िल फ़रमायी।

"तुम्में जो लोग वैभववान और सामर्थ्यवान हैं, वे इस बात की सौगंध न खा बैठें कि अपने नातेदार, मुहताज और अल्लाह की राह में घर-बार छोड़ने वाले लोगों की सहायता न करेंगे। उन्हें क्षमा कर देना चाहिए और दरगुज़र से काम लेना चाहिए। क्या तुम नहीं चाहते कि अल्लाह तुम्हें क्षमा करे ? और अल्लाह का गुण यह है कि वह क्षमाशील और दयावान है।"

(क़ुरआन, 24:22)

इस आयत के अवतरित होने के बाद हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ (रज़ि॰) ने उनकी इम्दाद को बहाल कर दिया।

अल्लाह के आदेशानुसार हज़रत मिस्तह (रज़ि॰) पर हद जारी हुई। यदि हज़रत उम्मे मिस्तह (रज़ि॰) अपने बेटे का बचाव करतीं तो वे बच सकते थे। लेकिन वे हर प्रकार के नतीजे से बेपरवाह होकर सच बोलीं। अल्लाह उनकी सच्चाई को क़ुबूल करे। आमीन !

بسم الله الرحمن الرحيم

"जो लोग दुनिया की दौलत अधिक रखते हों
उनकी ओर न देखो । ग़रीबों, मिस्कीनों से
मुहब्बत करो उनके पास जाओ ।
तुम्हारे संबंधी चाहे तुम से नाराज़ हों,
तुम्हारे अधिकार न देते हों,
लेकिन उनसे अपना संबंध बनाए
रखो और उनके अधिकार
अदा करते रहो ।"
(हदीस)

With Best Compliments From :

LIBERTY BAKERY

(मुंशी जी की बेकरी)

Kanjarwara, Pies Road, Musa Qailendar Street
Byculla, Mumbai-400011

क़ादिरी दवाख़ाना की कामयाब यूनानी दवाएं

DIAL
033-2469-3173
033-2489-3539



किसी भी प्रकार के दर्द, चोट, मोच, गठिया, जलने, कटने और बच्चों की मालिश में बहुत ही लाभदायक।



जाफ़रानी तेल®

गैस्टिक के दर्द में?

क़ब्ज़ ट्रोजन

अनपच, भूख की कमी, जिगर का दर्द, क़ब्ज़, सीने की जलन और पेटी की सभी बीमारियों में बहुत ही लाभदायक।

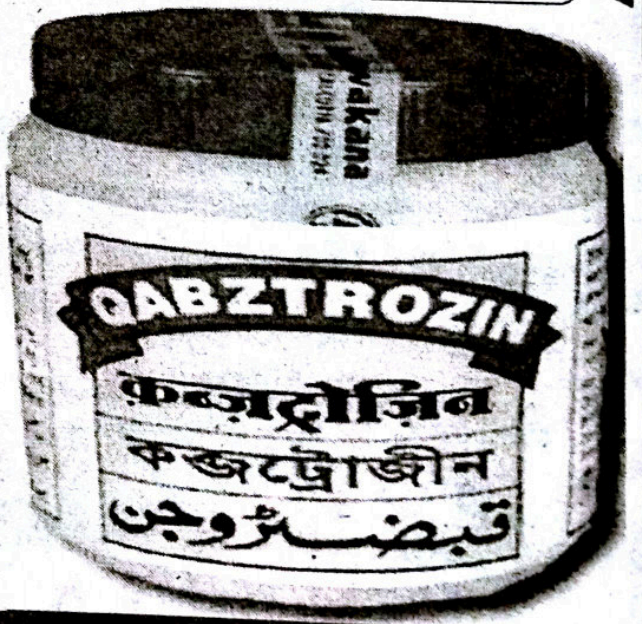

Qadri Dawakhana
B-18, NAWAB WAJID ALI SHAH ROAD, KOLKATA - 24,

DISTRIBUTORS:
DARYA BADI DAWAKHANA 393, E. R. Road, Pydhonie, Mumbai - 400 003 Ph: 022-2341-1957,
RELAX ENTERPRISES 3416, Bahishti Wada, No.1, Dhule, - 424 001 Ph: 02562-236952

ब्रह्मांड : ज्योतिष शास्त्र बनाम अंतरिक्ष विज्ञान

■ सैयद वक़ार अहमद हुसैनी

पवित्र क़ुरआन में शैतान से तात्पर्य कोई शक्ति, आवेग या व्यक्ति है जो सच्चाई और भलाई से विशेषकर अल्लाह और उसके क़ानून एवं नैतिक चीज़ों (Ethical Postulates) से बहुत दूर हो या उनका विरोध करता हो ।

'रुजूम' (जिसका एकवचन रज्म है) का अर्थ वह चीज़ है जिसे फेंककर अंधाधुंध मारा जाता है जैसे पत्थर आदि । सांकेतिक रूप में इसका लाक्षणिक अर्थ है–किसी चीज़ को कल्पना का विषय बनाना या अललटप अनुमान से कोई बात कह देना ।

ज्योतिष बनाम अंतरिक्ष विज्ञान पर क़ुरआन का मंतव्य

"हमने आकाश में बुर्ज (तारा-समूह) बनाए और उसे देखने वालों के लिए सुसज्जित भी किया, और हर फटकारे हुए शैतान से उसे सुरक्षित रखा, यह और बात है कि किसी ने चोरी-छिपे कुछ सुनगुन ले लिया तो एक प्रत्यक्ष अग्निशिखा ने भी झपटकर उसका पीछा किया । (क़ुरआन, 15:16-18)

"हमने निकटवर्ती आकाश को दीपों से सजाया और उन्हें शैतानों को मार भगाने का साधन बनाया और उनके लिए हमने भड़कती आग की यातना तैयार कर रखी है । जिन लोगों ने अपने रब के साथ कुफ़्र किया उनके लिए जहन्नम की यातना है और वह बहुत ही बुरा ठिकाना है । (क़ुरआन, 67:5-6)

"वास्तव में तुम्हारा पूज्य प्रभु अकेला है । वह आकाशों और धरती और जो कुछ उनके बीच है, सबका रब है और पूर्व दिशाओं का भी रब है ।"

"हमने दुनिया के आकाश को सजावट अर्थात तारों से सुसज्जित किया, (रात में मुसाफ़िरों को मार्ग दिखाने) और प्रत्येक सरकश शैतान से सुरक्षित रखने के लिए । वे (शैतान) "मलए आला"[1] की ओर कान नहीं लगा पाते और हर ओर से फेंक मारे जाते हैं भगाने-धुतकारने के लिए । और उनके लिए अनवरत यातना है । किन्तु यह और बात है कि कोई कुछ उचक ले, इस दशा में एक तेज़ दहकती उल्का[2] उसका पीछा करती है ।'

"अब उनसे पूछो कि उनके पैदा करने का काम अधिक कठिन है या उन चीज़ों का, जो हमने पैदा कर रखी हैं । निस्सन्देह हमने उनको लेसदार मिट्टी से पैदा किया ।" (क़ुरआन, 37:4-11)

सारांश एवं व्याख्या

सूर्य, चन्द्रमा, दूसरे नक्षत्र और ग्रह, धरती एवं जो कुछ इनके ऊपर है, ये सब चीज़ें अल्लाह तआला ने इन्सान के लिए और उसकी सेवा (सख़्ख़र) के लिए पैदा की हैं और उसके लिए इन्हें वशीभूत कर दिया है ।[3] अल्लाह ने इन सबको अपने आदेश के द्वारा[4] अपने क़ानूनों के अधीन कर दिया है और इन्सान का भी अधीनस्थ बना दिया है । ये पूरी आज्ञाकारिता के साथ अपने-अपने रास्तों पर चलते हैं ।[5] इनकी वैध गतिविधियां और इनका उपयोग यह है कि ये प्रकाश और ऊर्जा पहुंचाते हैं, यात्रा में मार्ग बताते और रहनुमाई करते हैं एवं अनेक उद्देश्यों के लिए इन्हें हिसाब-किताब का माध्यम बनाया जाता है आदि ।[6] इन तक पहुंचना भी संभव है, लेकिन जो ऐसा करते हैं उन्हें पता चलेगा कि ये आकाशीय पिंड (Heavenly Bodies) एक लपट (Flame) से घिरे हुए हैं जो बिंधे हुए और 'बहुत स्पष्ट' हैं ।

आकाशीय पिंडों को ज्ञान 'चुराने' के लिए नहीं इस्तेमाल करना चाहिए । इसका अर्थ ज्योतिष शास्त्र के द्वारा भविष्य पर प्रभाव डालने का दावा करना और उसके बारे में भविष्यवाणी करना है । इस्लामी नीतिशास्त्र (Ethics) के अनुसार यह चीज़ ग़लत और अनौचित्यपूर्ण है । ज्योतिषी ईश्वरीय व्यवस्था का उल्लंघन करते हैं । इन्सान में नैतिक स्वतंत्रता और दायित्व विद्यमान है । वह नक्षत्रों की गतिविधि और ज्योतिष शास्त्र की दूसरी परिकल्पनाओं के आगे विवश नहीं है और न इनसे उसके भाग्य का निर्धारण होता है । इन्सान में यह क्षमता है कि वह ब्रह्मांड से अपनी सेवा ले सकता है । क़ुरआन में वर्णित सिद्धांतों के अनुसार ऐसा करना उसका कर्तव्य है । ज्योतिषी सत्य ज्ञान का प्रयोग नहीं

1. ऊपरी लोक के फ़रिश्तों का प्रतिष्ठित समूह ।
2. अर्थात तेज़ दहकती अग्निशिखा या ज्वाला ।
3. क़ुरआन, 14:33, 16:12, 29:61, 31:29, 35:13 और 39:5
4. क़ुरआन, 7:54, 16:12
5. क़ुरआन, 14:33
6. क़ुरआन, 6:96, 55:5

हज़रत अबू अब्दुर्रहमान अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि॰) कहते हैं कि मैंने नबी (सल्ल॰) से पूछा : "कौन-सा कर्म अल्लाह तआला को सबसे बढ़कर प्रिय है ?" आप (सल्ल॰) ने कहा : "नमाज़ उसके अपने समय पर पढ़नी ।" मैंने कहा, फिर कौन-सा ? आप (सल्ल॰) ने कहा : "माता-पिता के साथ अच्छा व्यवहार करना ।" फिर कौन-सा ? आप (सल्ल॰) ने कहा : "अल्लाह की राह में जिहाद करना ।" (बुख़ारी, मुस्लिम)

A WELL WISHER
MUMBAI

कर रहे हैं, वे तो केवल अंधाधुंध अटकलें लगाते हैं और जो बेचारे उनके जाने-बूझे झूठ और छल-कपट का शिकार हो जाते हैं उन्हें हानि पहुंचती है । ज्योतिषी ज्ञान की महत्ता को घटा देते हैं । यह सर्वमान्य है कि ज्ञान तथ्यों की सत्यता और ईश्वर द्वारा निर्मित एवं निर्धारित प्राकृतिक क़ानूनों पर आधारित होता है । ज्योतिषियों ने एक मिथ्या चीज़ को हुनर ठहरा दिया है और झूठ-फ़रेब ही को एक व्यवसाय बना लिया है । ज्योतिष शास्त्र, जिसके द्वारा जन्म-कुंडली बनायी जाती है और भविष्यवाणियां की जाती हैं, एक मानवता विरोधी चीज़ है, इसीलिए क़ुरआन इस कर्म की कड़ी निंदा करता है और इसे शैतानी कर्म ठहराता है ।

स्वयं आकाशीय पिंडों के भविष्य को जानने और उनके निर्धारण की उन शक्तियों से सुरक्षा की गयी है जिन्हें उनकी ओर संबद्ध किया जाता है । वे अल्लाह द्वारा रचित हैं और उसके आज्ञाकारी हैं । वे पूर्ण रूप से अल्लाह के भौतिक और अंतरिक्ष संबंधी क़ानूनों के अधीन हैं । मनुष्यों के विपरीत उन्हें कोई नैतिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है ।

केवल अल्लाह ही भविष्य का अपने क़ानूनों के अनुसार निर्धारण करता है, जो प्रकृति, मानव और समाज सब पर प्रभाव डालता है । फिर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो अल्लाह द्वारा निर्धारित मानवीय सीमाओं के भीतर भविष्य को जान भी सकते हैं, उसका निर्धारण कर सकते हैं और भविष्यवाणी भी करते हैं । उनके गुणों और उनकी विशेषताओं को क़ुरआन में बयान किया गया है । ये वे लोग हैं जो ज्ञानवान[7] हैं, उन्होंने विधिवत ज्ञानार्जन किया है और ये वे लोग हैं जो सही तौर पर और पूरी गंभीरता व निष्ठा के साथ सच्चे ज्ञान[8] में गहराई और निपुणता रखते हैं, उन्हें क़ुरआन में 'रासिख़ून फ़िल इल्म'[9] (ज्ञान में गहराई और पहुंच रखने वाले) कहा गया है । वे अल्लाह की आयतों और क़ानूनों के बारे में अपने ज्ञान और अपनी तत्वदर्शिता (हिकमत) के आधार पर भविष्यवाणी कर सकते हैं । यूं अल्लाह के नैतिक और भौतिक क़ानून जो योग्य लोगों की ओर से क्रियान्वित होते हैं एवं अल्लाह के इन्हीं क़ानूनों के द्वारा लोगों या क़ौमों के भाग्य का निर्धारण होता है । इसका निर्धारण नक्षत्र-परिभ्रमण से नहीं होता ।

ज्योतिष शास्त्र और अंतरिक्ष विज्ञान के बारे में क़ुरआन के अवतरण से पहले का दृष्टिकोण

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आकाश पिंड धरती पर घटित होने वाली बातों पर प्रभाव डालते हैं । वे ऐसे ढंग बताते हैं जो किसी व्यक्ति के चरित्र, लोगों के भविष्य और घटनाओं को प्रकट कर सकते हैं । संभवत: 2000 ईसा पूर्व में बेबीलोनिया (वर्तमान इराक़) में ज्योतिष विद्या का आरंभ हुआ । यहां के लोगों का यह विश्वास था कि पांच ग्रह (Planets) ऐसी शक्तियां निकालते हैं जो अनेक विशेषताएं रखती हैं । उनमें का एक ग्रह मंगल (Mars) जो उन्हें लाल नज़र आता था, उसे क्रोध, आक्रामकता और युद्ध से जोड़ दिया गया ।

ज्योतिषी एक वृत्ताकार चार्ट बनाते हैं जिसे जन्मकुंडली (Horoscope) कहा जाता है । यह चार्ट प्राय: किसी भी व्यक्ति के जन्म के समय धरती और ग्रहों की स्थिति को बताता है । जन्मकुंडली के चार तत्व, धरती, ग्रह, राशिचक्र (Zodiac) और कोष्ठक (Houses) हैं । ज्योतिषी एक नक्षत्र और ग्रहों के बीच कोई अन्तर नहीं करते । वे धरती को सौर मंडल के केन्द्र में रखते हैं और यह विश्वास करते हैं कि धरती के हवाले से ग्रहों की स्थितियां किसी भी व्यक्ति के चरित्र और भविष्य को प्रकट करती हैं । राशि चक्र, नक्षत्रों को एक वृत्त में घेरे हुए हैं, उसको चिन्हों (Signs) से अभिहित कर 12 समान भागों में बांट दिया गया है । उनकी यह धारणा है कि राशि चक्र के चिन्ह तय करते हैं कि ग्रह किस प्रकार एक व्यक्ति के चरित्र और उसके समस्त क्रियाकलाप को प्रभावित करते हैं । धरती की सतह को भी 12 भागों में विभाजित किया गया है । ये भाग जिन्हें कोष्ठक की संज्ञा दी गयी है, उनके बारे में यह मान लिया गया है कि वे किसी व्यक्ति के जीवन की विशेषताओं को प्रकट करते हैं । राशिचक्र का विकास संभवत: प्राचीन मिस्र में हुआ । बेबीलोन (वर्तमान इराक़) ने भी उसे ई॰पू॰ 1000 के बाद अपना लिया । ज्योतिषियों ने जन्म कुंडली बनाने की व्यवस्था को ई॰पू॰ 600-200 के दौरान विकसित किया ।

प्राचीन यूनानी और रोमी भी ज्योतिष विद्या को व्यवहार में लाते थे । उन्होंने इस विद्या को ख़ूब आगे बढ़ाया । भारत के वराहमिहिर (मृत्यु 587 ई॰) अपनी शताब्दी का सर्वाधिक प्रामाणिक और प्रभावशाली वैज्ञानिक था । उसकी पुस्तकें हिन्दू त्रिकोणमिति (Trigonometry) और ज्योतिष शास्त्र के साथ यूनानी ज्ञान की झांकी प्रस्तुत करती हैं, लेकिन इनमें ज्योतिष भी प्रचुर मात्रा में है ।

(शेष अगले अंक में)

"वे जो स्वयं कंजूसी करते हैं
और लोगों को भी कंजूसी पर उभारते हैं और
अल्लाह ने अपने उदार दान से जो कुछ उन्हें दे
रखा होता है, उसे छिपाते हैं, तो हमने अकृतज्ञ
लोगों के लिए अपमानजनक यातना
तैयार कर रखी है ।
(क़ुरआन)

निज़ामुद्दीन सिद्दीक़ी

14, पेरू लेन, मुंबई-9

بسم الله الرحمن الرحيم

"तुम उसके सिवा जिनकी भी बन्दगी
करते हो वे तो बस निरे नाम हैं, जो तुमने और तुम्हारे
बाप-दादा ने रख छोड़े हैं । उनके लिए अल्लाह ने कोई प्रमाण नहीं
उतारा । सत्ता और अधिकार तो बस अल्लाह का है । उसने आदेश दिया
है कि उसके सिवा किसी की बन्दगी न करो । यही सीधा-सच्चा दीन
(धर्म) है, किन्तु अधिकतर लोग नहीं जानते ।"
(क़ुरआन, 12:40)

डॉ० अब्दुल ख़ालिक़

18/E, चन्द्रेश रिवेरा, लोधा कम्पलैक्स, मीरा रोड, (E) थाणे-401107

हिन्दू धर्म और इस्लाम

■ अभिजीत कुमार
(मुज़फ़्फ़रपुर, बिहार)

इस्लाम के बारे में जो अनेक ग़लतफ़हमियां व्याप्त हैं उनमें एक यह भी है कि यह धर्म कोई नयी चीज़ है, जिसे हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) लेकर आये थे। कुरआन शरीफ़ में है–"और जो किताब हमने तुम्हारी ओर वह्य की है, वही हक़ है, वह उसकी पुष्टि करती है जो उससे पहले अवतीर्ण हुई है।" (कुरआन, 35:31)

कुरआन अपने पहले भेजे गये सभी किताबों की तस्दीक़ करती है, क्योंकि यह ईश्वर की भेजी आख़िरी किताब है। इसी तरह हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) नुबूवत परंपरा की आख़िरी कड़ी हैं, यही कारण है कि इस्लाम की तालीम भी वही है जो ईश्वर की तरफ़ से पहले भेजे गये रसूलों, नबियों व किताबों की भी थी। यह वास्तव में उन्हीं पहले की शिक्षाओं की तस्दीक़ है जिसे हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) के पूर्ववर्ती नबी लेकर आते रहे थे। इसलिए इस बारे में कुरआन कहता है–'हम ईमान लाए अल्लाह पर और उस चीज़ पर जो हमारी ओर उतारी गयी और उस चीज़ पर जो इबराहीम, इसहाक़, याक़ूब और उनकी संतान की ओर उतारी गयी और जो मूसा और ईसा को दी गयी और जो दूसरे सभी नबियों को उनके रब की ओर से दी गयी, हम उनमें किसी को उस संबंध में जो उनमें पाया जाता है अलग नहीं करते, और हम उसी के आज्ञाकारी हैं। (कुरआन, 2:136)

कुरआन में नाम से चार आसमानी किताबों का वर्णन आता है, जो हैं तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरआन। मगर बावजूद इसके कुरआन में यह भी आता है कि हमने और भी किताबें उतारी। कुरआन में भले ही सनातन धर्म अथवा हिन्दू धर्मग्रंथों का नाम न आता हो, मगर दोनों धर्मों की तालीम में आश्चर्यजनक समानता पायी जाती है, उदाहरणार्थ कुछ बातें निम्नलिखित हैं–

● सामवेद के एक मंत्र में आता है–

"अग्निस्तिगमेन शोचिषां यं सद्विश्वं न्यत्रिणम् अग्निर्नो वंसते रयिम्॥" (सामवेद, पूर्वाचिक् 1/3/2)

अर्थात 'परमात्मा सदैव सबके साथ न्याय करता है। वह दुष्ट, दुराचारी लोगों को दंड देता है तथा धर्मात्माओं को उनके कर्मानुसार सुख बांटता है।'

इसी तरह कुरआन की एक आयत में आता है–"अल्लाह किसी के साथ तनिक भी अन्याय नहीं करता, यदि एक नेकी हो, तो उसे कई गुना बढ़ाएगा और अपनी ओर से बड़ा बदला देगा।" (कुरआन, 4:40)

● श्रीमद्भागवत के एक मंत्र 11/4/2 'यो वा अनंतस्य.....' में कहा गया है कि 'ईश्वर के गुण अनंत है

एहतिशाम ख़ान मोबाइल : 09425842976

पब्लिक ट्रैवेल्स

सिवनी से मंडला	प्रातः 7:20
सिवनी से छिंदवाड़ा	प्रातः 7:55
छिंदवाड़ा से बालाघाट	प्रात:10:30
मंडला से सिवनी	दिन 12:50
बालाघाट से सिवनी	सायं 6:00
सिवनी से नैनपुर	सायं 5:40
नैनपुर से सिवनी	दिन 12:20

प्रतिदिन

नोट : शादी व पार्टियों के लिए 33, 40 एवं 50 सीटर बस उपलब्ध है संपर्क करें–

एहतिशाम ख़ान, बस स्टैंड, सिवनी (मध्य प्रदेश)

जिसको गिनना संभव नहीं है ।'

इसी तरह कुरआन की एक आयत में कहा गया है–

''धरती में जितने वृक्ष हैं वे सब लेखनी बन जाए, और यह समुद्र (दवात बन जाए) जिसे सात और समुद्र रोशनाई पहुंचाएं, तब भी अल्लाह की बातें (लिखने से) समाप्त न होंगी । (कुरआन, 31:27)

मुण्डकोपनिषद में कहा गया है–

''सत्यमेव जयते नानृतम्'' (मुण्डक, 3/1/6)

अर्थात 'सत्य ही हमेशा विजयी होता है, असत्य कभी नहीं ।'

कुरआन की एक आयत है 'और घोषणा कर दो कि 'सत्य आ गया और असत्य मिट गया और असत्य तो मिटने ही वाला है ।' (कुरआन, 17:81)

ईश्वर को प्राकृतिक नेत्रों से देख पाना असंभव है–

श्रीमद्भगवद्गीता में जब अर्जुन श्रीकृष्ण को देखने की इच्छा करते हैं तो भगवान कहते हैं–

''न तु मां शक्यसे द्रष्टुमनेनैव स्वचक्षुषा ।''

अर्थात 'परन्तु मुझको तू इन प्राकृत आंखों द्वारा देखने में निस्संदेह सक्षम नहीं है ।

कुरआन में भी इसी तरह के एक प्रसंग का वर्णन आता है, हज़रत मूसा (अलैहि०) अल्लाह से गुज़ारिश करते हैं कि वो उन्हें देखना चाहते हैं ।

''और जब मूसा हमारे निश्चित किये जगह पर पहुंचा और उसके रब ने उससे बातचीत की तो वह कहने लगा : हे रब ! मुझे दिखा, मैं तुझे देखूं । उसने कहा : तू मुझे नहीं देख सकता, हां पर्वत की ओर देख । यदि वह अपने स्थान पर स्थिर रहा तो तू मुझे देख लेगा । फिर जब उसका रब पहाड़ पर आलोकित हुआ तो उसे चकनाचूर कर दिया । और मूसा बेहोश होकर गिर गया ।'' (कुरआन, 7:143)

ऋग्वेद में आता है–

''अज्येष्ठासो अकनिष्ठास एते संभ्रातरो ।''

(ऋग्वेद, 5/60/5)

अर्थात 'मनुष्यों में कोई भी बड़ा या छोटा नहीं होता, हम सभी आपस में भाई-भाई की तरह से हैं ।' ''वसुधैव कुटुम्बकम्'' अर्थात ''सारा विश्व एक परिवार है'' का अभिनव मंत्र भी वेदों में ही हैं ।

कुरआन भी विश्व-बंधुत्व और आलमी भाईचारे की शिक्षा देते हुए कहता है–''सारे इन्सान एक समुदाय (उम्मत) हैं ।'' (कुरआन) ''हे लोगो ! हमने तुम्हें पैदा किया एक पुरुष और स्त्री से, और तुम्हारी बहुत-सी जातियां व वंश बनाए, ताकि तुम एक-दूसरे को पहचान सको ।''

(कुरआन, 49:13)

इसी तरह एक आयत में आता है–''ईमान वाले तो आपस में भाई-भाई हैं ।'' (कुरआन, 49:10)

हज्जतुल-विदा में अल्लाह के रसूल (सल्ल०) ने अपने खुतबे में फ़रमाया–'किसी अरबी को न तो किसी ग़ैर-अरबी पर श्रेष्ठता हासिल है न ही किसी ग़ैर-अरबी को किसी अरबी पर । न काला गोरे से उत्तम है न कोई गोरा किसी काले से, आदर और प्रतिष्ठा का पैमाना ईशपरायणता है ।' एक हदीस में है, 'सारी सृष्टि अल्लाह का परिवार है ।'

कुरआन की एक सूरह है, सूरह इख़लास । इसकी चौथी आयत में आता है–''वलम यकुल लहू कुफ़ूवन् अहद ।'' अर्थात ''उसका कोई हमसर नहीं है ।''

(कुरआन, 112:4)

यजुर्वेद के एक मंत्र में आता है–

''न तस्य प्रतिमा अस्ति''

अर्थात 'उस ईश्वर का कोई बराबरी करने वाला नहीं है, उसकी कोई प्रतिमा नहीं है ।'

श्रीमद्भगवद्गीता के 11वें अध्याय में आता है–

''पितासी लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान ।''
न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्योलोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाव ॥''

अर्थात ''आप इस चराचर जगत के पिता और सबसे

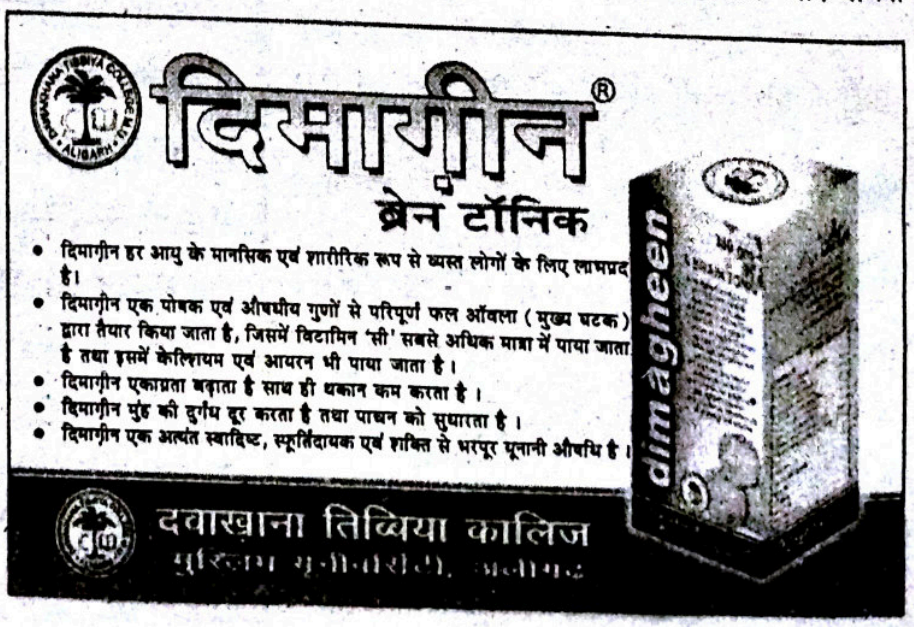

बड़े गुरु एवं अतिपूजनीय है, हे अनुपम ! तीनों लोगों में आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है, तो फिर कोई इससे अधिक कैसे हो सकता है ।''

अथर्वेद, 4/16/4 में आता है– ''दिवस्पशः प्रचश्न्तीदमस्य सहस्त्राक्षा अति पश्यन्ति भमिम् ।''

अर्थात 'ईश्वर के गुप्तचर सर्वत्र विचरण कर रहे हैं । वे हज़ारों आंख वाले होकर मनुष्यों के अंतर्मन व कृत्य को देख लेते हैं ।''

इसी अथर्वेद 5/6/3 की एक अन्य मंत्र में आता है– 'तस्य स्पशो न निमिषन्ति'

अर्थात 'ईश्वर के गुप्तचर कभी कान बंद नहीं करते हैं ।''

आगे मंत्र में आता है–''एते देवानां इह चरन्ति'' ।

अर्थात 'सर्वत्र विचरण करते हैं और हर शुभ-अशुभ कार्य देख लेते हैं ।''

कुरआन में है–''हालांकि तुम पर निगरानी करने वाले नियुक्त है। । ऐसे प्रतिष्ठावान लिपिक, जो तुम्हारे प्रत्येक कर्म को जानते हैं ।

(कुरआन, 82:10-12)

सूरह क़ाफ़ में आता है–''जब कि दो वसूल करने वाले वसूल करते रहते हैं दायीं ओर से और बायीं ओर से साथ लगे रहते हैं, जहां कोई बात उनके मुंह से निकलती है उनके पास एक निरीक्षक तैयार रहता है ।''

(कुरआन, 50:17)

फ़ार्म–4
नियम–8

प्रकाशन : 'कान्ति', D-314, दावत नगर, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव, जामिया नगर, नयी दिल्ली–110025

प्रकाशन अवधि : मासिक

प्रकाशक, मुद्रक : **ख़लील अहमद**

राष्ट्रीयता : भारतीय

पता : D-105, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव, जामिया नगर, नयी दिल्ली–110025

सम्पादक : **डॉ० मुहम्मद अहमद**

राष्ट्रीयता : भारतीय

पता : एफ ए-35, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव-II, शाहीन बाग़, जामिया नगर, नयी, दिल्ली-110025

स्वामित्व : **दावत ट्रस्ट (रजि०)** D-314, दावत नगर, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव, जामिया नगर, नयी दिल्ली–110025

बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज

चेयरमैन : **मौलाना सैयद जलालुद्दीन उमरी** दावत नगर, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव, जामिया नगर, नयी दिल्ली–110025

सेक्रेट्री : **जनाब रफ़ीक़ अहमद** दावत नगर, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव, जामिया नगर, नयी दिल्ली–110025

सदस्य : 1. **जनाब टी०के० अब्दुल्लाह,** इलाथन कण्डी हाउस, पोस्ट-पालीरी, वाया-कुटियाड़ी, ज़िला कालीकट, केरल, 2. **जनाब मुहम्मद जाफ़र,** अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव, जामिया नगर, नयी दिल्ली–25, 3. **जनाब मुहम्मद शफ़ी मूनिस,** 71-75, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव, जामिया नगर, नयी दिल्ली–110025, 4. **डॉ० फ़ज़लुर्रहमान फ़रीदी,** सर सैयद नगर, अलीगढ़ (उ०प्र०), 5. **जनाब सैयद ग़ुलाम अकबर,** दावत नगर, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव, जामिया नगर, नयी दिल्ली–110025, 6. **जनाब एजाज़ अहमद असलम,** दावत नगर, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव, जामिया नगर, नयी दिल्ली–110025, 7. **जनाब मुज्तबा फ़ारूक़,** दावत नगर, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव, जामिया नगर, नयी दिल्ली-110025।

मैं ख़लील अहमद, एतद्द्वारा घोषित करता हूं कि मेरी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार ऊपर दिये गये विवरण सत्य हैं ।

हस्ताक्षर

ख़लील अहमद

अनाथ लड़कों की पुकार

VOICE OF ORPHAN BOYS

यतीमख़ाना इस्लामिया (गया)

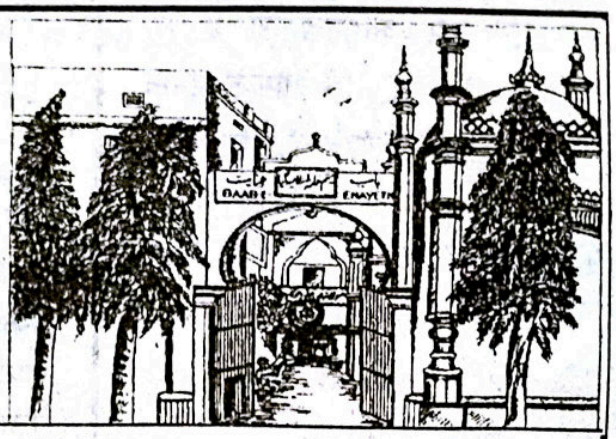

एक परिचय

● दीनी और असरी शिक्षा की अपनी तरह की जानी-मानी रिहाइशी पाठशाला ● 93 वर्षों की सेवाएं ● बहुत से विभाग ● शिक्षा के पड़ाव : प्राथमिक से मैट्रिक तक ● हिफ़्ज़ का विभाग : हिफ़्ज़ के साथ-साथ मैट्रिक ● हर वर्ष बिहार स्कूल बोर्ड परीक्षा का 100 प्रतिशत रिज़ल्ट ● पत्राचार शिक्षा 2010-2011 के सत्र के लिए 11वीं, 12वीं और बी०ए० में प्रवेश जारी ● कंप्यूटर की भी शिक्षा ● किफ़ाला स्कीम के तहत एक अनाथ छात्र पर वार्षिक ख़र्च 8000/- रुपये प्रति वर्ष ● कुल वार्षिक ख़र्च 14 लाख से अधिक ● आमदनी का स्रोत : मुस्लिम अवाम के चन्दे ● 125 अनाथ बच्चे जिनका पूरा ख़र्च इदारा ही उठाता है ।

● जिस रूप में संभव हो मदद करके अल्लाह से बड़ा इनाम प्राप्त करें–उदाहरण के लिए ● ज़कात ● सदक़े ● अतिया ● पैदावार की ज़कात ● क़ुरबानी की खाल ● एक अनाथ बच्चे का वार्षिक ख़र्च ● अपने या किसी बुज़ुर्ग के नाम पर कमरा या हॉल बनवाना आदि ।

● याद रखें यहां हर वर्ष ऑडिट (Audit) भी कराया जाता है । आप ख़ुद यतीमख़ाना इस्लामिया पहुंच कर बराबरी का व्यावहारिक नमूना अपनी आंखों से देखें कि किस प्रकार अनाथ और मां-बाप वाले बच्चे मिल-जुलकर रहा करते हैं ।

यह इदारा आप से उदार सहायता की अपील करता है ।

नोट : यह इदारा विदेशी मुद्रा के क़ानून FCRA के तहत भी रजिस्टर्ड है ।

अब आप विदेश से BANK A/c No. 300402010000187

BANK CODE NO. UBININBBJAM,

UNION BANK OF INDIA (MAIN BRANCH, GAYA)

.....में अपनी रक़म भेज सकते हैं.....

चेक या ड्राफ्ट पर केवल यह लिखें–THE GAYA MUSLIM ORPHANAGE

.....चेक, ड्राफ़्ट, मनीऑर्डर या ख़त भेजने का पता.....

Hon. SECRETARY, THE GAYA MUSLIM ORPHANAGE

At+P.o : CHERKI-824237, Distt : GAYA (BIHAR) INDIA

BANK A/C NO. : 10581, UNION BANK OF INDIA (MAIN BRANCH, GAYA)

CORE BANKIN G A/C NO. : 300402010010581

☎ 0631-2734428 ● Mobile : 9955655960

E-mail : gmocde@yahoo.co.in, Website : www.gmogaya.com

अध्यक्ष
डॉ० फ़रासत हुसैन

नाज़िम
डॉ० मुहम्मद एहतिशाम रसूल

इस्लाम में धार्मिक सहिष्णुता

■ मुस्तफ़ा हसनी अस्सबाई

धार्मिक सहनशीलता हमारी अमर सभ्यता के मानव प्रेम का एक नया पहलू है । इस्लामी सभ्यता की यह विशिष्टता धार्मिक धारणाओं व सिद्धांतों के इतिहास में भी नयी है और उन प्राचीन सभ्यताओं के इतिहास में भी नयी हैं, जिनको कतिमय धर्मों या जातियों ने परवान चढ़ाया । इस्लाम ने जब हमारी इस सभ्यता की बुनियाद डाली,तो उसने उन धर्मों के प्रति अनुदारता का रवैया नहीं अपनाया, जो कि उस समय मौजूद थे और न ही दूसरे धर्मों व सभ्यताओं तथा धारणाओं के प्रति किसी प्रकार की पक्षपात या द्वेष की भावना पैदा की । बल्कि इस संबंध में इस्लामी सभ्यता का रवैया यह रहा है : "अत: मेरे उन बन्दों को शुभ सूचना दे दो जो बात को ध्यान से सुनते हैं और फिर उस अच्छी से अच्छी बात का अनुपालन करते हैं ।" (कुरआन, 39:17)

धार्मिक सहनशीलता के मामले में हमारे धर्म के बुनियादी सिद्धांत यह रहे हैं :

कुरआन मजीद इस बात को स्पष्ट करता है कि सारे आसमानी धर्मों का मूल स्रोत एक ही है ।

"अल्लाह ने तुम्हारे लिए वही धर्म निर्धारित किया है, जिसकी ताकीद उसने नूह को की थी, और जिसका आदेश (हे मुहम्मद !) हमने तुम्हारी ओर भेजा है, और जिसकी ताकीद हमने इबराहीम और मूसा और ईसा को की थी यह कि "धर्म को क़ायम करो और उसके विषय में अलग-अलग न हो जाओ ।" (कुरआन, 42:13)

और यह कि जहां तक रसूल होने का संबंध है, सारे नबियों का रुत्बा रिसालत की सीमा तक बराबर है । इस मामले में किसी को किसी पर महत्ता प्राप्त नहीं । मुसलमानों के लिए ज़रूरी है कि वे सारे नबियों पर ईमान लाएं ।

"कहो हम ईमान लाए अल्लाह पर और उस चीज़ पर जो हमारी ओर उतारी गयी, और उस चीज़ पर जो इबराहीम, इस्माईल, इसहाक़, याक़ूब और उनकी संतान की ओर उतारी गयी । और जो मूसा और ईसा को दी गयी, और जो दूसरे सभी 'नबियों' को उनके रब की ओर से प्रदान की गयी । हम उनमें से किसी के बीच अन्तर नहीं करते, और हम केवल उसी के आज्ञाकारी हैं ।" (कुरआन, 2:136)

और यह कि सारे धर्मों के उपासना गृह आदर के पात्र हैं । अपमान से उनकी रक्षा भी उसी प्रकार ज़रूरी है, जिस तरह मुसलमानों की इबादतगाह मस्जिद की–

"और यदि अल्लाह लोगों को एक-दूसरे के द्वारा हटाता न रहता, तो मठ और गिरजा और यहूदियों के उपासना गृह, और मस्जिदें, जिनमें अल्लाह का अधिक नाम लिया जाता है, सब ढा दी जातीं ।" (कुरआन, 22:40)

और यह कि लोगों के लिए यह उचित नहीं है कि वे केवल धार्मिक मतभेद के कारण एक-दूसरों को क़त्ल करें, या एक-दूसरे पर अत्याचार करें, बल्कि उन्हें चाहिए कि वे नेकी के कामों को बढ़ावा देने और बुराई को मिटाने में आपस में सहयोग करें ।

इस सांसारिक जीवन में लोगों को एक-दूसरे पर बड़ाई देने, और ख़ुद अल्लाह के यहां बड़ाई परखने की कसौटी यह है कि कौन आदमी कितना परहेज़गार और अल्लाह से डरने वाला व भलाई के काम करने वाला है । हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) फ़रमाते हैं : "सारे इन्सान अल्लाह तआला का कुटुम्ब हैं और अल्लाह उसी को सबसे ज़्यादा पसन्द करता है, जो उसके परिवार के लिए सबसे ज़्यादा लाभकारी हो ।"

और यह कि धार्मिक मतभेद को भलाई, दया-भाव और विनम्रता में बाधक न होना चाहिए–

"आज तुम्हारे लिए सब पाक चीज़ें हलाल कर दी गयीं, और जिन्हें किताब दी गयी उनका भोजन भी तुम्हारे लिए हलाल है और तुम्हारा भोजन उनके लिए हलाल है । और ईमान वाली महिलाएं भी तुम्हारे लिए हलाल हैं । और वे महिलाएं भी जो उन लोगों में से हों, जिन्हें तुम से पहले किताब दी गयी थी ।" (कुरआन, 5:5)

अगर लोगों के धर्म विभिन्न हों, तो वे उनके संबंध में एक-दूसरे से वाद-विवाद, विचार-विमर्श व तर्क-वितर्क कर सकते हैं, मगर भले और अच्छे तरीक़े से, संयम में रहते हुए शिष्टाचार की सीमाओं में रहते हुए और तर्क-संगत दलीलों के साथ । और इसका उद्देश्य भी यह होना चाहिए कि दूसरे की शंका दूर होकर सही बात उसकी समझ में आ जाए ।

نیک خواہشات کے ساتھ

دربارِ شہنشہی سے خوشتر
مردانِ خدا کا آستانہ۔

(علامہ اقبالؒ)

IRFAN

Mobile : 9820193421

Frank Estate Consultancy

Vicinity of Mittal Court, 'A' Wing, Jamnalal Bajaj Marg.
Nariman Point, Mumbai-400021

Regd. Office : 64, Dubash Chamber, 3rd Floor,
Kumptha Street, Ballard Estate, Fort,
Mumbai-400038,
Tel. : 22854427
E-mail : frankestate@yahoo.com
: frankestate@gmail.com

ہماری بعض اہم کتابوں کا پہلی بار

ہندی اڈیشن

नमाज़ में आप क्या पढ़ते हैं? ✍ मौलाना सय्यद अबुल- आला मौदूदी	[نماز میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟]	12.00
मुस्लिम औरतों की ज़िम्मेदारियाँ ✍ मौलाना सय्यद जलालुद्दीन उमरी	[مسلمان خواتین کی ذمے داریاں]	20.00
भारत में इस्लाम की दावत की अहमियत और उसके तक़ाज़े ✍ मौलाना सय्यद जलालुद्दीन उमरी	[ہندستان میں اسلام کی دعوت اہمیت اور تقاضے]	14.00
काबा का सफ़र ✍ मौलाना सय्यद जलालुद्दीन उमरी	[سوے حرم چلا]	24.00
प्यारे नबी (सल्ल०) की चहेती बेटियाँ ✍ फ़ज़्ले-क़दीर नदवी	[رسول اللہؐ کی صاحبزادیاں]	16.00
इस्लाम सफलता का एकमात्र रास्ता ✍ मौलाना सय्यद हामिद अली	[اسلام کامیابی کا واحد راستہ]	08.00
इशदूतत्व की धारणा विभिन्न धर्मों में	[مجموعہ مضامین]	20.00
प्यारे नबी (सल्ल०) के चार साथी-3 हज़रत उस्मान ग़नी (रज़ि०) ✍ इरफ़ान ख़लीली	[پیارے نبیؐ کے چار یار حضرت عثمان غنیؓ-حصہ سوم]	35.00
प्यारे नबी (सल्ल०) के चार साथी-4 हज़रत अली (रज़ि०) ✍ इरफ़ान ख़लीली	[پیارے نبیؐ کے چار یار حضرت علیؓ-حصہ چہارم]	30.00
ईश्वर की रहस्यमय हस्ती ✍ मौलाना मुहम्मद फ़ारूक़ ख़ाँ	[خدا کی پراسرار ہستی کا تصور]	14.00
हदीस सौरभ (अनुवाद एवं व्याख्या सहित) भाग-2 ✍ मौलाना मुहम्मद फ़ारूक़ ख़ाँ	[کلام نبوت-جلد دوم]	350.00

MMI PUBLISHERS

D-307, Dawat Nagar, Abul Fazl Enclave, Jamia Nagar, New Delhi-110025 • Phone: 26971652, 26954341, 26946447(D) • Fax: 26947858 • **E-mail:**mmipublishers@gmail.com • **Website:** www.mmipublishers.net

चहचहाने का सबक़

■ मुहम्मद चांद
(जयपुर, राज॰)

आज उसका मन उदास था । रह-रहकर उसके दिल में आशंकाओं के बादल उमड़-उमड़ रहे थे । आज उसके बॉस ने उसके काम को लेकर नाराज़गी ज़ाहिर की थी । बॉस की नज़र में उसका काम संतोषप्रद क्यों नहीं था, वह समझ नहीं पा रहा था । पिछले दिनों ही तो कंपनी से सरप्लस और आर्थिक मंदी का बहाना कर कई कर्मचारियों को नौकरी से बाहर कर दिया गया था । अगर उसके साथ भी ऐसा ही हुआ तो ? यह 'तो' उसे तनाव में लाए जा रहा था । उसका घर का ख़र्च ? बच्चों की पढ़ाई, अन्य ज़रूरतें ? और भी न जाने किन-किन ख़र्चों से जुड़े सवाल उसके दिमाग़ में घूम गये थे । उसे अपना बी॰पी॰ बढ़ता हुआ नज़र आया । चक्कर आने लगे थे । इस बीच उसका ध्यान ऑफ़िस की खिड़की से बाहर एक पेड़ पर बने चिड़िया के घोंसले पर गया ।

घोंसले में चिड़िया और उसके बच्चे ख़ुशी से चहचहा रहे थे । चिड़िया उनके मुंह में दाना डाल रही थी । उसने यह नज़ारा कई दिनों तक देखा । वह अपनी नौकरी खोने को लेकर बहुत ज़्यादा ग़मग़ीन रहने लगा था । एक बार चिड़िया के घोंसले को देखकर वह सोचने लगा—यह चिड़िया मेरी तरह न तो कोई नौकरी करती है और न कोई बिजनेस । बावजूद वह और उसके बच्चे हर दिन रोज़ी-रोटी पाते हैं । अपने ख़ूबसूरत घोंसले में सुकून की ज़िन्दगी गुज़ारते हैं । हालांकि मेरे पास इतना बैंक बैलेंस है कि कुछ साल काम-काज़ न भी करूं तो हमारे खाने-पीने, बच्चों की पढ़ाई-लिखाई पर कोई फ़र्क़ नहीं पड़ेगा । और भी कई तरह के सामानों का संग्रह मेरे पास हैं । और हां, अभी नौकरी भी तो है ।

बावजूद इन सबके मेरी सोच ऐसी है मानो मैं दुनिया का सबसे ज़्यादा दुखी शख़्स हूं । दूसरी तरफ़ यह चिड़िया । उसके घर में दूसरे दिन खाने के दाने भी नहीं रखे । बावजूद इसके वे चहचहा रहे हैं । एक तेज़ आंधी का झोंका इनके घोंसले को तहस-नहस कर सकता है । लेकिन इनके माथे पर किसी तरह की कोई शिकन नज़र नहीं आती । रोज़ सुबह चिड़िया उड़ती है । कोशिश करती है और दाना लेकर ही घर लौटती है ।

...अब उसके समझ में आ गया था । चिड़िया सिर्फ़ कोशिश करती है । न चिंता करती है और न ही किसी तरह का संग्रह । ईश्वर ही देता है, सबको रोज़ी-रोटी । अब तो उसके दिलो-दिमाग़ से हटने लगी थीं चिंता की लहरें और छंटने लगे थे ग़म के बादल । शाम को वह भी घर पहुंचा चहचहाता हुआ उस चिड़िया की तरह, क्योंकि उस चिड़िया से उसने सीख लिया था चहचहाने का सबक़ ।

प्रो॰ मुहम्मद क़मरुज़्ज़मा
9826809922
9826689853
पापुलर ट्रेवल्स
लग्जरी बस सेवा 2/2 (स्लीपर) के लिए सम्पर्क करें ।
अम्बिकापुर से बिलासपुर रात्रि 23:20
अम्बिकापुर से रायपुर प्रात: 03:00
अम्बिकापुर से डाल्टेनगंज रात्रि 21:30
अम्बिकापुर से डाल्टेनगंज रात्रि 22:25
अम्बिकापुर से डाल्टेनगंज रात्रि 22:30
मननगढ़ से डाल्टेनगंज रात्रि 19:10
अम्बिकापुर से मननगढ़ संध्या 05:00
अम्बिकापुर से चीरमीरी प्रात: 06:30
अम्बिकापुर से मननगढ़ संध्या 16:10
रायगढ़ से डाल्टेनगंज रात्रि 21:40
राम मंदिर के पास, अम्बिकापुर, सरगुजा (छत्तीसगढ़)

मदद के लिए अपील

जामिया मिस्बाहुल उलूम चौकोनियां, पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक जाना-माना तालीमी इदारा है। यह इदारा सिद्धार्थ नगर ज़िला के ग्रामीण क्षेत्र में है। यहां लगभग सभी राज्यों और पड़ोसी देश नेपाल के छात्र तालीम हासिल कर रहे हैं। यह इदारा आधी सदी से तालीम व तर्बियत के मोर्चे पर मुस्लिम समाज की सेवा कर रहा है। यहां प्राइमरी से लेकर आलिमीयत तक की तालीम का पूरा इन्तिज़ाम है। यहां दीनी और अस्री उलूम को एक ख़ास इम्तिज़ाज के साथ सिमोया गया है, जिसके कारण जामिया को तालीमी मैदान में एक अलग और प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त है। यहां क़याम और तआम की सारी सहूलतें उपलब्ध हैं। जामिया मिस्बाहुल उलूम की विशेषता तालीम के साथ इस्लामी बुनियादों पर छात्रों की मिसाली तर्बियत करना है।

जामिया के मंसूबे

● मर्कज़ी लाइब्रेरी की तामीर ● जामिया की मस्जिद के अधूरे कामों को पूरा करना ● लड़कियों के लिए अलग दर्सगाह की तामीर ● टेक्निकल सेन्टर का क़याम ● होस्टल की तामीर ● अनाथालय की तामीर ● फैमिली क्वार्टर्स की तामीर

अह्ले ख़ैर हज़रात से दरख़्वास्त है कि जामिया की दिल खोलकर मदद करें और अल्लाह के यहां उसका बदला पाएं।

–: भेजने का पता :–

जामिया मिस्बाहुल उलूम

चौकोनियां भारत भारी, सिद्धार्थनगर-272191

फ़ोन : 09450587737, 09793424547

जामिया का बैंक खाता नं०

A/c No. 30290663653 S.B.I. डुमरियागंज, कोड-1250

मानव-सुधार और इस्लाम

तुलनात्मक विश्लेषण और मनन के आधार पर मैंने इस्लाम को मानवीय सर्व समस्याओं का आधारभूत और एकमेव समाधान के रूप में पाया, चाहे ये समस्याएं व्यक्तिगत; पारिवारिक, नागरिक, सामाजिक, राजनीतिक, नैतिक, धार्मिक, मनोवैज्ञानिक, आर्थिक, राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय, इहलौकिक हों या पारलौकिक । संक्षेप में, इस्लाम इन सब मानव-समस्याओं रूपी तालों के लिए एक ही चाबी है । इस्लाम की स्पष्टता, शक्ति, सादगी, सार्वभौमिकता, प्रामाणिकता असंशोधनीय है । एक ईश्वरवाद व विशुद्ध एकेश्वरवाद प्रत्यक्ष है । साथ ही इस्लाम के पैग़म्बर हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) का व्यक्तित्व अप्रतिम व सम्पूर्ण है ।

❖ राजेन्द्र नारायण लाल

तुलनात्मक विश्लेषण और मनन के आधार पर मैंने इस्लाम को मानवीय सर्व समस्याओं का आधारभूत और एकमेव समाधान के रूप में पाया, चाहे ये समस्याएं व्यक्तिगत, पारिवारिक, नागरिक, सामाजिक, राजनीतिक, नैतिक, धार्मिक, मनोवैज्ञानिक, आर्थिक, राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय, इहलौकिक हों या पारलौकिक । संक्षेप में, इस्लाम इन सब मानव-समस्याओं रूपी तालों के लिए एक ही चाबी है । इस्लाम की स्पष्टता, शक्ति, सादगी, सार्वभौमिकता, प्रामाणिकता असंशोधनीय है । एक ईश्वरवाद व विशुद्ध एकेश्वरवाद प्रत्यक्ष है । साथ ही इस्लाम के पैग़म्बर हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) का व्यक्तित्व अप्रतिम व सम्पूर्ण है । यदि कोई भी व्यक्ति इस्लाम को शुद्ध हृदय और पक्षपात रहित होकर समझने का प्रयास करे तो वह निस्संदेह इस निष्कर्ष पर पहुंचेगा कि इस्लाम एक स्वयं सिद्ध वास्तविकता है । इस्लाम के पूर्व के अरब, साक्षात् पाप-ग्रस्त थे । हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) ने उन्हें इस्लाम की शिक्षा के द्वारा अत्यधिक अल्प अवधि में सर्वथा धार्मिक तथा मानवता का आदर्श बना दिया । किसी भी कामी, क्रोधी, लोभी, व्यभिचारी, जुआरी, झगड़ालू, शराबी, हिंसक, चोर और निकृष्ट अंधविश्वासी जाति का उसी पीढ़ी में हृदय परिवर्तन कर देना ऐसा चमत्कार है जिसका उदाहरण इतिहास में दूसरा नहीं है. । यदि अरब जाति सामूहिक रूप से दीर्घ स्थायी अपराध रूपी रोग से इस्लाम रूपी औषधि से अल्पकाल में चंगी हो गयी तो यह दवा ऐतिहासिक प्रमाण के आधार पर किसी मानव समूह के लिए, जो इस प्रकार के रोग से ग्रस्त है, एक प्रामाणिक अचूक औषधि के रूप में मान्यता रखती है । प्राय: इस समय समस्त संसार इस प्रकार के रोग से न्यूनाधिक ग्रस्त है, लेकिन भारत में यह रोग महामारी का रूप धारण कर रहा है जिसके लिए इस ईश्वर-प्रदत्त औषधि का प्रयोग अनिवार्य एवं आवश्यक है ।

इस्लाम किसी धर्म से वैमनस्य नहीं रखता । वह हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) से पूर्व प्रकट हुए सभी ईशदूतों का आदर करता है । उसकी मान्यता यह है कि हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) अन्तिम ईशदूत थे, उनसे पूर्व अन्य ईशदूतों द्वारा प्रेषित ईश्वरीय निर्देशों में स्वार्थियों अथवा काल की गति द्वारा जो मिश्रण कर दिया गया था और जिसके परिणामस्वरूप मानव सत्यमार्ग से विचलित हो गए थे, उन्हें कुरआन के ईश्वरीय निर्देशों के रूप में अन्तिम, परिमार्जित और अब से सर्वथा असंशोधनीय नियम प्रदान किये गये ।

इस्लाम

इस्लाम के मूल्यांकन के लिए पहले हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) के व्यक्तित्व का मूल्यांकन आवश्यक है, जिनके द्वारा ईश्वरीय निर्देश कुरआन के रूप में अन्तिम रूप से प्रकट हुए। राम, बुद्ध और महावीर के विपरीत हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) का जन्म राजपरिवार में नहीं हुआ । न तो

वास्तविक जीवन का प्रबोधक

उनके पैदा होने पर उत्सव मनाया गया और न तो उनका लालन-पालन सुख से हुआ और न तो उनकी शिक्षा-दीक्षा की कोई व्यवस्था हो सकी । अभी वे मां के गर्भ ही में थे कि उनके पिता का देहान्त हो गया । 6 वर्ष की आयु में माता से भी वंचित हो गये । 8 वर्ष के हुए तो दादा भी चल बसे । केवल एक चाचा अबू तालिब ने आपके प्रति सहानुभूति और दया दिखायी । इस प्रकार शिक्षा-दीक्षा और सुख-शान्ति के वातावरण से आप सर्वथा वंचित रहे । चालीस वर्ष की आयु तक निरन्तर ईमानदारी, सच्चाई तथा सदाचार का जीवन व्यतीत करते हुए आप अमीन कहलाते रहे ।

चालीस वर्ष की आयु में आपको ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त हुआ । सर्वप्रथम उनकी पत्नी ख़दीजा और तत्पश्चात् आपके चाचा के नवयुवक पुत्र अली, दास ज़ैद और मित्र अबू बक्र ने आपकी प्रेरणा से इस्लाम ग्रहण किया और इसके बाद आपके निकटवर्ती इस्लाम ग्रहण करते रहे । साथ ही विधर्मी विरोध भी करने लगे जिनकी संख्या दिनों-दिन बढ़ती ही गयी । जब वे तत्कालीन राज्य-सत्ता और नाना प्रकार के अन्य प्रलोभनों से आपको सत्य से न डिगा सके तो उन्होंने उन पर और उनके अनुयायियों पर बड़े अत्याचार किए, यहां तक कि उनके अनुयायियों को स्वदेश छोड़कर हबश देश (इथियोपिया) में शरण लेनी पड़ी। वहां भी उनके शत्रु (कुरैश नामक क़बीलें के लोगों) ने उनका पीछा किया, लेकिन वहां के शासक ने इस्लाम की सत्यता से प्रभावित होकर उन मुसलमान शरणार्थियों को कुरैश के हवाले करने से इन्कार कर दिया ।

इधर मक्का में हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) और उनके अनुयायियों पर अत्याचार चरम सीमा को पार कर गया और हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) का प्राण तक लेने का षड्यंत्र रचा गया । ईश्वरीय प्रेरणा से उन्हें मक्का से मदीना चला जाना पड़ा । इस घटना को इस्लामी भाषा में 'हिजरत' कहते हैं अर्थात् धर्मार्थ देश-त्याग । लेकिन वहां भी कुरैश ने चैन न लेने दिया और मदीना पर सशस्त्र आक्रमण आरम्भ कर दिया तो कुरआन में पैग़म्बर और मुसलमानों के लिए प्रतिरक्षात्मक युद्ध अर्थात् जिहाद के लिए आयतें अवतरित हुईं। अंत में अति अल्प अवधि ही में, अरब पर मुहम्मद साहब तथा इस्लाम का आधिपत्य हो गया ।

यदि कोई भी व्यक्ति इस्लाम को शुद्ध हृदय और पक्षपात रहित होकर समझने का प्रयास करे तो वह निस्संदेह इस निष्कर्ष पर पहुंचेगा कि इस्लाम एक स्वयं सिद्ध वास्तविकता है । इस्लाम के पूर्व के अरब, साक्षात् पाप-ग्रस्त थे । हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) ने उन्हें इस्लाम की शिक्षा के द्वारा अत्यधिक अल्प अवधि में सर्वथा धार्मिक तथा मानवता का आदर्श बना दिया । किसी भी कामी, क्रोधी, लोभी, व्यभिचारी, जुआरी, झगड़ालू, शराबी, हिंसक, चोर और निकृष्ट अंधविश्वासी जाति का उसी पीढ़ी में हृदय परिवर्तन कर देना ऐसा चमत्कार है जिसका उदाहरण इतिहास में दूसरा नहीं है ।

दूसरे शब्दों में वह अरब जाति जो प्राय: सामूहिक रूप से हर प्रकार की बुराइयों में लिप्त थी, जैसे अशिक्षा, उच्छृंखलता, अंधविश्वास, जुआ, लूट, व्यभिचार यहां तक कि पिता की मृत्यु के बाद सौतेली मां से विवाह तक कर लिया करते थे । मदिरापान, झगड़ा-फ़साद, कन्यावध, धोखाधड़ी, जुल्म, षड्यंत्र, स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार, गुलामों पर अत्याचार, अनाथों का हक़ मारना, मूर्तिपूजा और अन्य प्रकार के अपराध करने वाली जाति पैग़म्बर साहब के जीवन ही में इस्लाम के 20 वर्ष के प्रचार के फलस्वरूप उसी पीढ़ी में ही एक ईश्वरवादी एवं धर्मात्मा बन गयी ।

"अल्लाह उस आदमी के साथ दयालुता का मामला करेगा जो क्रय-विक्रय और क़र्ज़ का तक़ाज़ा करने में नरमी और शालीनता बरते।" (हदीस)

Abdul Malik **9845311911**

UNIQUE CREATIONS

Spl. in Unipole & Structure Hoarding

#4, Bldg NO. 29/35, 1st Main Road,
Opp. Masjid-e-Husna, SRK Garden,
Jayanagar East, Bangalore-560041
E-mail : uniquecreations2008@gmail.com

सामूहिक अपराध प्रवृत्तिरूपी रोग का हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) ने सफलतापूर्वक निदान किया । इसे ऐतिहासिक चमत्कार ही कहना चाहिए कि अरब जाति का यह रोग उसी जाति में उत्पन्न वैद्य द्वारा समाप्त हुआ जो पैदा तो उस अपराध प्रवृत्त जाति में हुआ, लेकिन मनसा, वाचा और कर्मणा उस जाति से सर्वथा भिन्न था । स्पष्ट है कि इस्लाम नैतिकता की तेजवर्धक औषधि है जो इस प्रकार के रोग से ग्रस्त किसी अन्य जाति का भी सफल और त्वरित उपचार करने में एक प्रयुक्त और सर्वस्वत्व संरक्षित औषधि के रूप में सक्षम और समर्थ है । इस्लाम के पूर्व की अरब जाति का इस्लाम के बाद जो कायाकल्प हुआ वह उसका मानो ऐतिहासिक पुनर्जन्म है । वैसे तो पुनर्जन्म की कल्पना कोरी कल्पना ही है ।

सबसे महान आश्चर्य का विषय तो यह है कि हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) की मक्का विजय में एक व्यक्ति की भी जान नहीं गयी और पैग़म्बर और उनके अनुयायियों ने अपने शत्रुओं के क्रूर कर्मों का बदला लिए बिना छोड़ दिया । इतिहास में युद्धोपरान्त विजेताओं द्वारा विजितों को ऐसे सामूहिक क्षमादान का कोई उदाहरण नहीं मिलता ।

हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) की सादगी में न तो धनी स्त्री से विवाह के बाद कोई अन्तर आया और न पैग़म्बर का पद प्राप्त करने और अरब के सर्वेसर्वा होने के बाद । उन्होंने अपना सारा जीवन अत्यन्त सादगी से बिताया । वे किसी भेदभाव के बिना सभी धर्म और जाति वालों के परोपकारक थे । वे अत्यंत दानशील थे । उनमें कोई भी नैतिक दोष नहीं था । वे साक्षात (Personified) सत्यता, ईमानदारी, पवित्रता, दया, सौजन्य और शान्ति के दूत एवं उदारता और दयालुता के प्रतीक थे । उन्होंने केवल दूसरों के लिए जीवित रहने के लिए जीवन व्यतीत किया । सर्वोपरि, उनका पुण्य असीम था । श्रम के गौरव के लिए और दूसरों में समानता और भाईचारा और सहयोग की भावना जाग्रत करने के लिए उन्होंने युद्ध और शान्ति किसी अवस्था में ऐसा कोई कार्य न किया जिससे लोग उन्हें प्रमुख समझें ।

वे युद्ध और शान्ति में आश्चर्यजनक रूप से नम्र, उदार और क्षमाशील रहते थे । दैनिक गृहस्थ जीवन बिताते हुए भी सर्वदा ईश्वर का चिंतन करते रहते थे और सबके लिए, यहां तक कि अपने विरोधियों के लिए भी, ईश्वर से कल्याण की प्रार्थना करते थे । रात को उठ-उठकर नमाज़ पढ़ते थे । हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) और इस्लाम की महत्ता और क्रान्तिकारी प्रभाव की पुष्टि ऐतिहासिक प्रमाणों से भी होती है। पूर्वाग्रही और दुराग्रही उमर जो आगे चलकर हज़रत उमर (रज़ि०) कहलाए और हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) के दूसरे प्रभावी ख़लीफ़ा हुए, नंगी तलवार लेकर हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) को जान से मारने के वास्ते घर से चले थे, क़ुरआन के कुछ उद्धरणों को सुनकर तत्काल उनका हृदय-परिवर्तन हो गया और उन्होंने तुरंत हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) की सेवा में उपस्थित होकर इस्लाम ग्रहण कर लिया । यही हाल तुफ़ैल बिन उमर दोसी का हुआ जो मुहम्मद साहब की उक्ति से कान को बचाने के लिए कान में रूई रखते थे । वे हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) से क़ुरआन की कुछ आयतें सुनते हैं और तत्काल मुसलमान हो जाते हैं । साधनहीन और अनाथ के रूप में पले, जीवनपर्यन्त सांसारिक शिक्षा से वंचित, किन्तु ईश्वरीय ज्ञान से विभूषित, अत्याचारों को सहते हुए अत्याचारियों के लिए भी दुआ मांगते हुए और अपरिहार्य परिस्थिति में ईश्वरीय आदेश से प्रतिरक्षात्मक युद्ध करते हुए पूर्ण विजय प्राप्ति के बाद अपने ऊपर और अपने अनुयायियों पर घोर अत्याचार ढाने वालों को सामूहिक क्षमादान से और अपने जीवनकाल ही में राक्षस कहलाने लायक़ अरबों को पुण्यात्मा बना देने से और उनके बाद एक सदी के अन्दर संसार के विशाल भू-भाग पर इस्लाम के प्रतिष्ठित हो जाने से और आज सर्वाधिक लोकप्रिय विश्वव्यापी धर्म होने से हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) और इस्लाम की शक्ति स्वयंसिद्ध हैं । अत्याचारों को सहते हुए धैर्य के साथ ईश्वरीय शक्ति के द्वारा प्रगति करते रहे और घोर संघर्षों के बीच सफल हुए । निस्सन्देह हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) ईश्वर-दूतों में सर्वश्रेष्ठ हैं । 'इस्लाम' अपने नाम से ही महत्वपूर्ण और अर्थपूर्ण है । 'इस्लाम' का शाब्दिक अर्थ है–"ईश्वर की इच्छा के आगे पूर्णरूप से नत-मस्तक हो जाना ।" अर्थात् पूर्णरूपेण ईश्वर का आज्ञाकारी भक्त बन जाना । इस प्रकार प्रारंभ ही में इस्लाम एकेश्वरवाद का सूचक हो जाता है । इस्लाम मोहम्मडनिज़्म नहीं है वरन् ईश्वर प्रदत्त आदि धर्म है । हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) अन्तिम

ईश्वरदूत थे, यह इस्लाम नाम से ही सिद्ध है ।

तौहीद (एकेश्वरवाद) को छोड़कर शारीरिक और आर्थिक कष्टों में ज़कात, रोज़ा और हज में छूट से निर्धनों, रोगियों और अपाहिजों के लिए भी इस्लाम वरदान बन गया है, जबकि अन्य धर्मों में ये सर्वथा अपमानित और उपेक्षित हैं । इस्लाम, जिसने धर्म में व्ययशील कर्मकाण्डों का सर्वथा निराकरण कर दिया है, अपने व्यावहारिक नियमों व अन्य नैतिक तथा सामाजिक सहायक नियमों के समन्वय से, स्थायी और सार्वभौम आधार पर सबका धर्म है, जिनमें मर्द, औरत, तिरस्कृत, अनाथ, दास, अपाहिज, व्यक्ति, परिवार, समुदाय, राष्ट्र सभी सम्मिलित हैं । सारांश यह कि उन सब समस्याओं के समाधान की क्षमता रखने के कारण जिनसे मनुष्य को पाला पड़ता है, इस्लाम सबसे बढ़कर कल्याण-कारी है ।

संक्षेप में इस्लाम की प्रधान विशेषताएं निम्न हैं–

(1) इस्लाम की सबसे प्रधान विशेषता उसका विशुद्ध एकेश्वरवाद है । हिन्दू धर्म के ईश्वर-कृत वेदों का एकेश्वरवाद कालान्तर से बहुदेववाद में खोया तो नहीं तथापि बहुदेववाद और अवतारवाद के बाद ईश्वर को मुख्य से गौण बना दिया गया है । इसी प्रकार ईसाइयों की त्रिमूर्ति (Trinity) अर्थात् ईश्वर, पुत्र और आत्मा की कल्पना ने हिन्दुओं के अवतारवाद के समान ईसाई धर्म में भी ईश्वर मुख्य न रहकर गौण हो गया । इसके विपरीत इस्लाम के एकेश्वरवाद में न किसी प्रकार का परिवर्तन हुआ और न विकार उत्पन्न हुआ । इसकी नींव इतनी सुदृढ़ है कि इसमें मिश्रण का प्रवेश असंभव है । इसका कारण इस्लाम का यह आधारभूत कलिमा है–"मैं स्वीकार करता हूं कि ईश्वर के अतिरिक्त कोई पूज्य और उपास्य नहीं और मुहम्मद ईश्वर के दास और उसके दूत हैं।" हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) को ईश्वर ने कुरआन में अधिकतर 'अब्द' कहा है जिसका अर्थ आज्ञाकारी दास है, अतएव ईश्वर का दास न ईश्वर का अवतार हो सकता है और न उपास्य हो सकता है ।

(2) इस्लाम ने मदिरा को हर प्रकार के पापों की जननी कहा है । अत: इस्लाम में केवल नैतिकता के आधार पर मदिरापान निषेध नहीं है अपितु घोर दंडनीय अपराध भी है अर्थात् कोड़े की सज़ा । इस्लाम में ताड़ी, भंग आदि सभी मादक वस्तुएं निषिद्ध हैं ।

(3) ज़कात अर्थात् अनिवार्य दान । यह श्रेय केवल इस्लाम को प्राप्त है कि उसके पांच आधारभूत कृत्यों–नमाज़ (उपासना), रोज़ा (व्रत), हज (काबा की तीर्थ की यात्रा), में एक मुख्य कृत्य ज़कात भी है । इस दान को प्राप्त करने के पात्रों में निर्धन भी हैं और ऐसे क़र्ज़दार भी हैं जो क़र्ज़ अदा करने में असमर्थ हों या इतना धन न रखते हों कि कोई कारोबार कर सकें । नियमित रूप से धनवानों के धन में इस्लाम ने मूलत: धनहीनों का अधिकार निश्चित कर दिया है, अतएव ज़कात में जिन लोगों का अधिकार है उनके लिए यह आवश्यक नहीं है कि वे ज़कात लेने के वास्ते भिक्षुक बनकर धनवानों के पास जाएं । यह शासन का कर्तव्य है कि वह धनवानों से ज़कात वसूल करे और उसके अधिकारियों को दे । धनहीनों का ऐसा आदर किसी धर्म में नहीं है ।

(5) सूद (ब्याज) एक ऐसा व्यवहार है जो धनवानों को और धनवान तथा धनहीनों को और धनहीन बना देता

Niyaz Ahmed
Tel. : 2292062 (S)
M. : 98261-29877
Hosiery Centre
Wholeseller
Readymade & Handloom
B/43 Uttar Gangotri, Supela, Bhilai, Durg (C.G.)

है । समाज को इस पतन से सुरक्षित रखने के लिए किसी धर्म ने सूद पर किसी प्रकार की रोक नहीं लगायी है । इस्लाम ही ऐसा धर्म है जिसने सूद को अति वर्जित ठहराया है । सूद को निषिद्ध घोषित करते हुए कुरआन में बाक़ी सूद को छोड़ देने की आज्ञा दी गयी है और न छोड़ने पर ईश्वर और उसके सन्देष्टा से युद्ध की धमकी दी गयी है ।

(कुरआन, 2:279)

(6) इस्लाम ही को यह श्रेय भी प्राप्त है कि उसने धार्मिक रूप से रिश्वत (घूस) को निषिद्ध ठहराया है (कुरआन, 2:188)। हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) ने रिश्वत देने वाले और लेने वाले दोनों पर ख़ुदा की लानत भेजी है ।

(7) इस्लाम ही ने सबसे प्रथम स्त्रियों को सम्पत्ति का अधिकार प्रदान किया, उसने मृतक की सम्पत्ति में भी स्त्रियों को भाग दिया । इस्लाम में विधवा के लिए कोई कठोर नियम नहीं है । पति की मृत्यु के चार महीने दस दिन बाद वह अपना विवाह कर सकती है ।

(8) इस्लाम ही ने अनिवार्य परिस्थिति में स्त्रियों को पति त्याग का अधिकार प्रदान किया है, हिन्दू धर्म में स्त्री को यह अधिकार नहीं है । हमारे देश में संविधान द्वारा अब स्त्रियों को अनेक अधिकार मिले हैं ।

(9) यह इस्लाम ही है जिसने किसी स्त्री के सतीत्व पर लांछन लगाने वाले के लिए चार साक्ष्य उपस्थित करना अनिवार्य ठहराया है और यदि वह चार साक्ष्य उपस्थित न कर सके तो उसके लिए अस्सी कोड़ों की सज़ा नियत की है । स्त्रियों को इस्लाम का कृतज्ञ होना चाहिए कि उसने निर्दोष स्त्रियों पर दोषारोपण को वैधानिक अपराध ठहराया ।

(10) इस्लाम ही है जिसने कम नापने और कम तौलने को वैधानिक अपराध के साथ धार्मिक पाप भी ठहराया और बताया कि परलोक में भी इसकी पूछ होगी ।

(11) इस्लाम ने अनाथों के सम्पत्तिहरण को धार्मिक पाप ठहराया है । (कुरआन, 4:10, 4:127)

(12) इस्लाम कहता है कि यदि तुम ईश्वर से प्रेम करते हो तो उसकी सृष्टि से प्रेम करो ।

(13) इस्लाम कहता है कि ईश्वर उससे प्रेम करता है जो उसके बन्दों के साथ अधिक से अधिक भलाई करता है ।

(14) इस्लाम कहता है कि जो प्राणियों पर दया करता है, ईश्वर उस पर दया करता है ।

(15) दया ईमान की निशानी है, जिसमें दया नहीं उसमें ईमान नहीं ।

(16) किसी का ईमान पूर्ण नहीं हो सकता जब तक कि वह अपने साथी को अपने समान न समझे ।

(17) इस्लाम के अनुसार इस्लामी राज्य कुफ़्र (अधर्म) को सहन कर सकता है, परन्तु अत्याचार और अन्याय को सहन नहीं कर सकता ।

(18) इस्लाम कहता है कि जिसका पड़ोसी उसकी बुराई से सुरक्षित न हो वह ईमान नहीं लाया ।

(19) जो व्यक्ति किसी व्यक्ति की एक बालिश्त भूमि भी अनाधिकृत रूप से लेगा वह क़ियामत के दिन सात तह तक पृथ्वी में धंसा दिया जाएगा ।

(20) इस्लाम में जो समता और बंधुत्व है वह संसार के किसी धर्म में नहीं है । सामाजिक भेदभाव को इस्लाम ने ऐसा जड़ से मिटाया कि इसी दक्षिणी अफ़्रीक़ा में ही एक जुलू के मुसलमान होते ही उसे मुस्लिम समाज में समानता प्राप्त हो जाती है, जबकि ईसाई होने पर ईसाई समाज में उसको यह पद प्राप्त नहीं होता। गांधी जी ने इस्लाम की इस प्रेरक शक्ति के प्रति हार्दिक उद्‌गार व्यक्त किया है ।

POSTAL LIBRARY

जीवन ज्योति केन्द्र

पोस्टल लाइब्रेरी

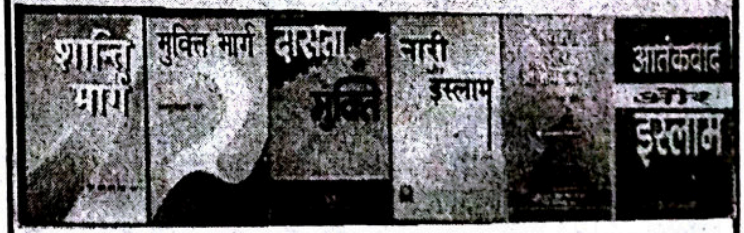

Bainy Singh Ki Talaiya
Gohalpur, Jabalpur-482002
Mob. : 9300929747, 9300101373

8 करोड़ मराठी भाषा जानने वालों तक इस्लाम का पैग़ाम पहुंचाने के लिए क़ुरआन का अनुवाद, अहादीस, पैग़म्बर चरित्र (सीरते-नबी) और ग़ैर-मुस्लिम भाइयों की ग़लतफ़हमी दूर करने के लिए 200 इस्लामी मराठी पुस्तकें और 20 फोल्डर्स उपलब्ध हैं । पुस्तकों की सूची बिना मूल्य मंगवाएं ।

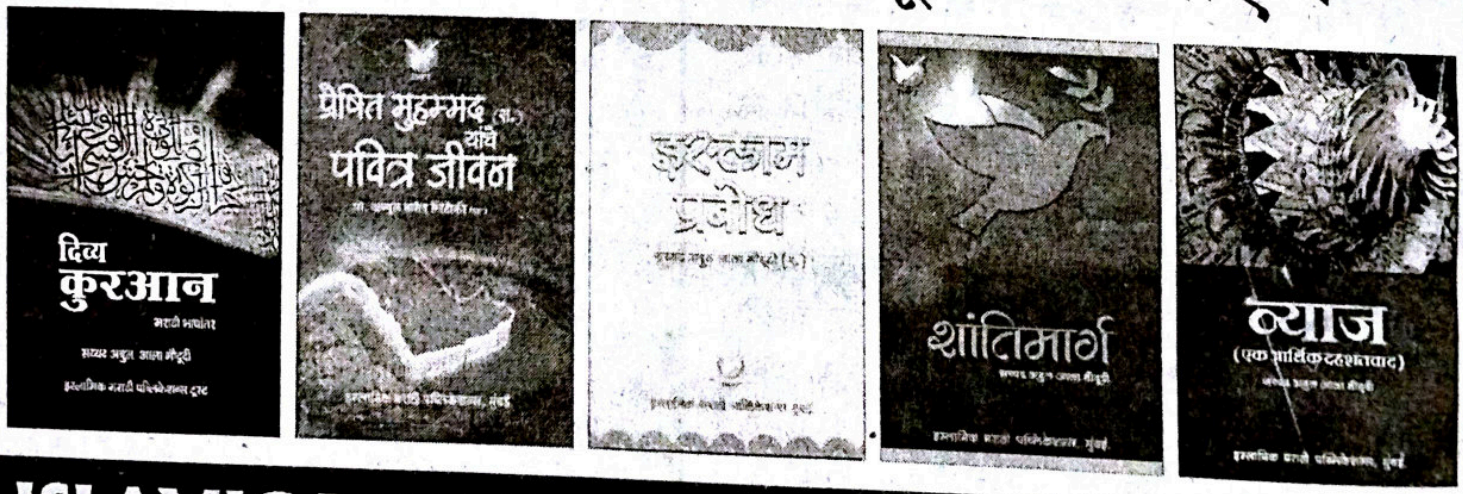

ISLAMIC MARATHI PUBLICATIONS TRUST

4, Hamid Bldg., 96, Hafiz A. B. Marg, Mominpura, Mumbai - 11
Tel.: 23018387, 23082820 Fax : 23052002 Cell.: 9224599910
Website : www.islamicmarathipublications.com

सुसमाज की स्थापना और इस्लाम

● मुहम्मद ज़ैनुल आबिदीन मंसूरी
● मुशर्रफ़ अली

आध्यात्मिकता इन्सान की प्रकृति में रची-बसी है । भौतिकवादी और उपभोक्तावादी जीवनशैली के सारे भोग-विलास, ऐश व आराम सिर्फ़ शरीर को सुख देते हैं, आत्मा को संतृप्त नहीं कर पाते । आत्मा अशांत और प्यासी रह जाती है । मानव-प्रकृति यह प्यास बुझाने के लिए व्याकुल रहती है । रहस्यवाद, सूफ़ीवाद, सन्यास, वैराग्य, संसार-त्याग (रहबानियत) और ब्रह्मचर्य आदि इसी प्यास के बुझाने के रास्ते समझे जाते हैं । लेकिन वह आत्मिक शांति ही क्या जो दाम्पत्य, पारिवारिक व सामाजिक ज़िम्मेदारियों से भाग कर हासिल की जाए ! वह आध्यात्मिक शांति क्या जो सांसारिक जीवन-संघर्ष को छोड़कर प्राप्त की जाए जबकि वास्तविकता यह है कि जीवन-संघर्ष की चुनौतियां और कठिनाइयां इन्सान की इन्सानियत को निखारती, विकसित करती और समाज के लिए हितकारी व लाभकारी बनाती हैं ।

इसके साथ, यह समस्या तो बनी ही रहती है कि कितने लोग अपने सामाजिक दायित्व से भाग कर मठों, ख़ानक़ाहों, आश्रमों, गुफाओं और पर्वतों पर ज़िन्दगी गुज़ार सकते हैं ? शायद औसतन एक लाख में एक । फिर बाक़ी मानवजाति के लिए आध्यात्मिक प्यास बुझाने का क्या रास्ता है ? बल्कि, रास्ता है भी या नहीं ? आइए देखें इस्लाम क्या उपाय प्रस्तावित करता है जिसका आह्वान है कि वह ज़िन्दगी के हर क्षेत्र, हर मामले में मार्गदर्शन करता है और उत्तम व श्रेष्ठ व्यावहारिक विकल्प भी पेश करता है ।

इस्लाम के अनुसार आध्यात्मिकता की जड़ ईश-प्रेम की ज़मीन में है । इसी ज़मीन से आध्यात्मिकता का पौधा उगता और ऐसा घना, सायादार व फलदार वृक्ष बनता है जिससे व्यक्ति लाभान्वित होता है, परिवार, समाज और सामूहिक व्यवस्था भी लाभान्वित होती है । लेकिन वह प्रेम दिशाहीन, बे-लगाम, स्वच्छंद, नियमविहीन और 'मन की मौज' नहीं होता । वह इन्सान को ऐसा स्वार्थी नहीं बनने देता कि अपनी आध्यात्मिक प्यास बुझाने के लिए पत्नी, संतान, माता-पिता, नातों-रिश्तों, समाज...सबसे कट जाए, सबको छोड़ दे । इस ईश-प्रेम का आरंभ-बिन्दु 'ईश्वर की सही पहचान' है जो इन्सान को उसके स्वतंत्र चिंतन-मनन, दिशाहीन धयान-ज्ञान, स्वच्छंद मस्तिष्क-व्यायाम और अटकल के बजाय ईशसंदेष्टा (रसूल, नबी) के माध्यम से प्राप्त होती है । ईशदूत ही इन्सान और ईश्वर के बीच यथोचित संबंध की वास्तविकता बताता है और इसकी दिशा एवं सीमा का बोध भी कराता है । इस ईश्वरीय प्रावधान के अंतर्गत रहकर इन्सान आध्यात्मिकता की अस्पष्ट, उलटी-सीधी धुंधली राहों पर भटकने और भटकते रहने से बच जाता है, दिशाहीनता का शिकार नहीं बनता ।

ऐसे सार्थक ईश-प्रेम और ईश्वर-संबंध को स्थापित करने और दृढ़ बनाने का श्रेष्ठ, सर्वोत्तम, प्रभावी और कारगर उपाय इस्लाम ने प्रस्तावित किया है । ईश्वर से सीधे व घनिष्ठ संबंध का आध्यात्मिक और शारीरिक प्रावधान, जो आध्यात्मिक विकास को सहज, सरल और सुनिश्चित बना देता है । जब इन्सान नमाज़ के लिए हाथ बांध कर विनीत-भाव से ईश्वर के समक्ष एकाग्र होकर खड़ा होता है, उसके आगे झुकता है और ज़मीन पर माथा टेक कर अपने पूरे अस्तित्व व व्यक्तित्व को उसके समक्ष डाल देता है, समर्पित कर देता है तो उसे उस अवस्था में आध्यात्मिकता की चरम सीमा की अनुभूति होती है । इसी तरह रोज़ा, ज़कात (अनिवार्य दान), हज और सदक़ा-ख़ैरात (स्वैच्छिक दान) का भी मामला है । ईश्वर से सीधा संबंध और उसके प्रति विनीत और दास्यभाव से परिपूर्ण इन उपासनाओं के साथ सामाजिकता और सामाजिक दायित्व बोध और इनके अन्यान्य पहलू अविभाज्य रूप से जुड़े हुए हैं ।

इस्लाम ने आध्यात्मिक उत्थान के लिए पवित्र ग्रंथ क़ुरआन के पाठ और उसमें ग़ौर-फ़िक्र करने तथा उससे सत्कर्म, सत्यनिष्ठा और नेकियों पर चलने, बुराइयों से बचने तथा दूसरों को भी नेकी के रास्ते पर चलाने और बुरे रास्ते से रोकने की प्रेरणा, हौसला और जज़्बा हासिल करने की शिक्षा दी है । इससे व्यक्ति का आध्यात्मिक स्तर ऊंचा उठता है और इस तरह के बहुत सारे व्यक्तियों के एक बड़े समूह के लिए समाज-निर्माण के आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रभावी

भूमिका निभाना आसान हो जाता है । अगर तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो निष्कर्ष यह निकलता है कि आध्यात्मिकता को सामाजिकता से जोड़ने और दोनों के सामंजस्य को मानव-समाज के लिए हितकारी एवं कल्याणकारी बनाने का रास्ता इस्लाम का एकमात्र रास्ता है ।

नैतिक क्षेत्र

नैतिक मूल्यों के ह्रास ने आज समाज को इन्सानियत के स्तर से बहुत नीचे गिरा दिया है । भ्रष्टाचार, घपले-घोटाले, रिश्वत और क़ानूनहीनता इन्सान की ज़िन्दगी के प्रत्येक क्षेत्र में रच-बस गयी है । झूठ, धोखाधड़ी, मिलावट, कालाबाज़ारी आदि बुराइयों ने समाज में जो बिगाड़ पैदा किया है उससे मानवता कराह रही है । 'लिव इन रिलेशन' और समलैंगिकता जैसे इन्सानियत विरोधी और अप्राकृतिक कृत्य क़ानूनी मान्यता प्राप्त कर रहे हैं । स्वैच्छिक व्यभिचार को अपराध की सूची से निकाल दिया गया है जिसके फलस्वरूप ख़ून के रिश्ते भी कलंकित हो रहे हैं । अपहरण और सामूहिक बलात्कार की घटनाएं आम हो गयी हैं । सरकारी कुनीति ने शराब को घर-घर पहुंचा दिया है जिसके कारण नैतिकता और सदाचरण समाप्त हो रहे हैं और अपराध-प्रवृत्ति फल-फूल रही है । चोरी, लूट, हत्या जैसे अपराधों ने एक जंगल राज की स्थिति पैदा कर दी है ।

क़ानून और न्याय-व्यवस्था की चूलें हिल गयी हैं । क़ानूनों और उन्हें लागू करने वालों की बहुतायत के साथ-साथ, उनसे अधिक अनुपात में अपराध बढ़ते जा रहे हैं । व्यवस्थापिका कार्यपालिका के साथ ही न्यायपालिका में भ्रष्टाचार की घुसपैठ हो गयी है, जिसके कारण उसकी प्रतिष्ठा तो धूमिल हुई ही है, उसकी कार्यप्रणाली भी बाधित और कलंकित हो रही है । परिणामस्वरूप न्याय प्राप्त करना आम आदमी के लिए बहुत ही जटिल, मुश्किल और महंगा हो गया है ।

धर्म से जुड़ी नैतिक शिक्षाओं में इसका समाधान मिल सकता था, लेकिन अधिकतर धर्म आध्यात्मिकता और सामूहिक आचार-विचार को एक-दूसरे से अलग रखते हैं ।

इस्लाम के मूलग्रंथ कुरआन ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अल्लाह ने सत्य धर्म को इसलिए उतारा है कि उसकी शिक्षाओं का पालन करके एक ओर तो पालनहार की उपासना की जाए और दूसरी ओर मनुष्य के व्यक्तिगत और सामूहिक जीवन का सुधार हो । कुरआन में कई स्थानों पर तो मनुष्यों के बीच सत्य और न्याय की स्थापना और शिष्टाचार को इस धर्म की स्थापना का उद्देश्य बताया गया है और पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल॰) को सद्भाव, सहयोग, दया, पवित्रता, परोपकार, शुभेच्छा आदि मानव मूल्यों की शिक्षा दी गई है (क़ुरआन, 74:3-6, 93:9-10, 107:1-7)।

दूसरे स्थानों (क़ुरआन, 16-90, 57-25) पर न्याय की स्थापना को सत्य धर्म का उद्देश्य बताया गया है । ईशपरायणता को सीधे न्याय से जोड़ते हुए क़ुरआन कहता है, "किसी गिरोह की शत्रुता तुम्हें इतना उत्तेजित न कर दे कि तुम न्याय से फिर जाओ ।" (क़ुरआन, 5-8)

इस्लाम सद्व्यवहार और ईशभय को जीवन का आधार ठहराता है । इस्लाम ने मनुष्य का नैतिक प्रशिक्षण इस प्रकार किया है कि उसके लिए स्वर्ग की चाहत और नरक से बचाव की अभिलाषा संसार प्रेम से अधिक प्रबल एवं शक्तिशाली प्रेरक बन जाती है ।

अल्लाह की प्रसन्नता प्राप्त करना अगर किसी मनुष्य के जीवन का लक्ष्य बन जाए तो वह अवश्य ही भलाइयां करेगा, भलाइयां फैलाएगा और बुराइयों से बचेगा, बुराइयों को फैलने से रोकेगा । व्यक्तिगत और सामूहिक सदाचार उसकी प्रकृति बन जाएगी और समाज का बिगाड़ स्वाभाविक रूप से समाप्त हो जाएगा । समाज में व्याप्त अनैतिकता, चरित्रहीनता, अन्याय, अपराध व शोषण का कोई उपाय सफल न हो रहा हो (बल्कि स्थिति बिगड़ती ही जा रही हो) और आम लोग, कोई विकल्प न पाकर हताश, मायूस हो चुके हों तो यह स्थिति बड़ी चिन्ताजनक है । ऐसे में अगर खुले दिमाग़ व विशालहृदयता के साथ और पूर्वाग्रह से मुक्त होकर विचार किया जाए तो मालूम होगा कि सिर्फ़ एक विकल्प है और वह है इस्लाम ।

सामाजिक क्षेत्र

आज हर जगह सामाजिक ताना-बाना ढीला पड़ चुका है और हर तरह की बुराई को सामाजिक स्वीकृति मिल रही है । धर्म, जाति, जन्म-स्थान, लिंग, भाषा आदि आधारों पर समाज पूर्णतः बंटा हुआ है । उच्च वर्ग निम्न वर्ग के शोषण को अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझता है और हर प्रकार की ईश्वरप्रदत्त और मानव निर्मित सुख सुविधाओं को अपने लिए, या अपने वर्ग तक सीमित रखने के लिए प्रयत्नशील है । समाज में मानव-जीवन और मान-सम्मान का कोई मूल्य नहीं रह गया है । केवल अपराधी प्रवृत्ति के लोग ही नहीं बल्कि सामान्य नागरिक, पढ़े-लिखे युवक, यहां तक कि

नाबालिग़ लड़के भी बड़ी आसानी से लोगों के जान-माल और मान-सम्मान से खिलवाड़ कर रहे हैं । इन्सानी रिश्ते बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं ।

महिलाओं के साथ हो रहे हर प्रकार के अन्याय और अत्याचार के प्रति भी समाज में सहनशीलता का वातावरण है । विकास और समानता के नाम पर उसे उपभोग-सामग्री बना दिया गया है और उसे अर्धनग्न बल्कि एक प्रकार से नग्नावस्था में लोगों के सामने लाया जा रहा है । आज महिला घर से बाहर तक, कहीं सुरक्षित नहीं । पत्नी के रूप में घरेलू हिंसा का शिकार है, बेटी के रूप में पिता की जायदाद से वंचित की जाती है। स्कूल-कॉलेज हो या कार्यस्थल, हर जगह यौन-शोषण का शिकार बनती है, बल्कि जन्म से पूर्व ही कन्या-भ्रूण के रूप में उसकी हत्या सभ्य समाज में हत्या नहीं समझी जाती।

समाज की मौलिक इकाई, 'परिवार' बिखर रहा है । रिश्तों का महत्व मिटता जा रहा है, पारिवारिक बंधन कमज़ोर हो रहे हैं । बूढ़े माता-पिता; जिनकी सेवा कभी सौभाग्य का प्रतीक थी, अब उनका अस्तित्व असह्य होता जा रहा है। वृद्धाश्रम का कल्चर तेज़ी से पांव पसार रहा है । संवेदनहीनता की हद तो यह है कि अब ममता जैसी भावना के लिए भी जगह नहीं रही । दुधमुंहे बच्चे के पालन-पोषण का दायित्व बाज़ार को सौंपा जा रहा है । विधवाओं के लिए भी अब परिवार में जगह नहीं, वे विधवा आश्रमों में शरण लेने को विवश हैं, जिनमें से कुछ में सुव्यवस्थित देह-व्यापार की घटनाएं भी सामने आती रही हैं ।

समाज सुधार के अनेक आन्दोलन चलाये गये, लेकिन वे भ्रष्टाचार और बाज़ारवाद की भेंट चढ़ गये । दलितों की दशा सुधारने के लिए समय-समय पर क़ानून बनाए गये, लेकिन आज भी उनकी बस्तियां उजाड़ी जाती हैं और उनकी महिलाओं के साथ बलात्कार किया जाता है । राजनेता उनकी विवशता को अपनी राजनैतिक शक्ति बढ़ाने की सीढ़ी बनाते हैं । महिला आन्दोलनों का भी यही हाल हुआ । विकास और स्वतंत्रता के पश्चिमी नारों के जाल में फंसकर वास्तविक समस्या की अनदेखी की गयी और रोग के बजाय लक्ष्णों के उपचार का ही प्रयास किया गया । परिणामस्वरूप स्थिति बद से बदतर होती चली गयी ।

इस्लाम इन सभी सामाजिक समस्याओं का प्रभावकारी और उत्तम हल पेश करता है । उसकी दृष्टि में सभी इन्सान आदम की ही संतान हैं, इसलिए धर्म, जाति, लिंग, भाषा, क्षेत्रीयता, रंग और वंश की भिन्नता के बावजूद सब आपस में भाई-भाई हैं । इन्सान होने की हैसियत से सब बराबर हैं, सभी को समान अधिकार प्राप्त है । जन्म या पेशे के आधार पर किसी को किसी पर वरीयता प्राप्त नहीं है, न कोई तुच्छ है और न विशिष्ट । विशिष्टता का मानदंड मनुष्य के नैतिक गुण हैं, ईशपरायणता है । उसकी धन-संपत्ति या पारिवारिक रसूख़ नहीं ।

परिवार समाज की वह इकाई है जहां आने वाली पीढ़ी को मानवता की सेवा, कर्तव्यनिष्ठा, समर्पण और बलिदान का प्रशिक्षण मिलता है, इसलिए इस्लाम पारिवारिक मामलों के प्रति बहुत गंभीर है और उन्हें स्वस्थ और सुदृढ़ बनाने के लिए प्रयत्नशील है । परिवार में महिला-पुरुष के समान दर्जे को स्वीकार करते हुए इस्लाम दोनों का कार्यक्षेत्र विभाजित करता है । पुरुष को घर का संरक्षक बनाता है उस पर बाहर के कामों और घर का ख़र्च उठाने की ज़िम्मेदारी डालता है । महिला पर घर चलाने और संवारने और बच्चे-बच्चियों में अच्छे संस्कार व गुणों के उन्नयन का दायित्व है । इस्लाम बच्चों से अपेक्षा करता है कि वे मां-बाप की आज्ञा का पालन करें, बल्कि मां-बाप की सेवा को इबादत का दर्जा देते हुए इसे जन्नत में प्रवेश का साधन बताता है ।

परिवार की सीमा से आगे इस्लाम संबंधियों और पड़ोसियों के अधिंकार को भी बहुत महत्व देता, और स्पष्ट आदेश देता है कि तुम्हारे माल में तुम्हारे संबंधियों और पड़ोसियों का भी हक़ है। इस्लाम समाज के समृद्ध लोगों पर यह दायित्व डालता है कि वे समाज के ग़रीबों और कमज़ोरों का ध्यान रखें ।

इस्लाम ने स्त्री-पुरुष के बेरोकटोक मेल-जोल को रोकने के लिए 'महरम' और 'नामहरम' की सीमाएं निर्धारित कर दी हैं और पर्दे का सुव्यवस्थित प्रावधान रखा है । महिला/पुरुष के संबंध का केवल एक ही रास्ता विधिवत विवाह है, जिसमें सामाजिक दायित्व को पूरी तरह स्वीकार किया जाता है । इसके अतिरिक्त केवल कामेच्छा की पूर्ति के लिए बनाए गये सभी संबंध निषिद्ध हैं और इसके लिए कठोर सज़ा का प्रावधान है ।

निकाह को अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) की सुन्नत बताकर इस्लाम ने संन्यास और संसार-त्याग के सारे रास्ते बन्द कर दिये हैं । इस्लाम प्रकृति से बग़ावत के बजाय लोगों को सामाजिक ज़िम्मेदारियां उठाने के लिए तैयार करता है । वह ग़ैर-ज़रूरी और ख़र्चीले रीति-रिवाजों का विरोध करते

हुए निकाह को सरल बनाने की शिक्षा देता है, ताकि विवाह करना आसान हो, और समाज में व्यभिचार आदि बुराइयां पनपने नहीं पाएं। गंभीरता और निष्ठा के साथ ग़ौर करने से यह विश्वास करने के सिवाय कोई और विकल्प नहीं रह जाता कि समाज को क्षति, आघात व टूट-फूट से बचाने और मज़बूत बुनियादों पर समाज का निर्माण करने के लिए इस्लाम ही एकमात्र विकल्प है।

आर्थिक क्षेत्र

हमारे देश में आज चारों ओर लूट-खसोट मची हुई है। आर्थिक नीतियों के चलते देशवासियों की बड़ी संख्या शोषण और निर्धनता को सहन करने के लिए विवश है। पूंजीवाद ने सभी नैतिक मूल्यों को रौंदते हुए अवसरवाद और शोषण के कल्चर को बढ़ावा दिया है। उपभोक्तावाद और ब्याज के माध्यम से धन बढ़ाते जाने की होड़ ग़रीब इन्सान के कमज़ोर शरीर से ख़ून की आख़िरी बूंद तक निचोड़ लेना चाहती है। वंचितों की संख्या में वृद्धि हो रही है। प्रत्येक अमीर ग़रीबों के साथ यही कर रहा है। धन का बहाव ग़रीबों से अमीरों की ओर हो रहा है।

सरकारें वित्तीय फ़ायदे और धन से तिजोरियां भरने के लिए शराब की खपत और बिक्री को तेज़ी से बढ़ा रही और परिवारों की तबाही तथा समाज का नैतिक ताना-बाना बिखेरने और शराब-प्रेरित अपराधों को बढ़ाने में परोक्ष रूप से सहयोग कर रही हैं।

उद्योगपतियों, पूंजीपतियों, कारपोरेट हाउसों के, करोड़पति से अरबपति और अरबपति से खरबपति बनने के लिए सरकारी और मीडियाई प्रकरणों ने जनसाधारण में अनावश्यक ख़रीदारी का जुनून पैदा कर दिया है। इस जुनून में ब्याजाधारित वित्तीय संस्थानों, बैंकों और मनीलैंडर्स की चांदी हो रही है। लोग क़र्ज़ों में डूबते जा रहे और सूद अदा करते-करते निढाल हो रहे हैं। आम आदमी अपनी क्रय-शक्ति से कहीं अधिक माल ख़र्च करके अपना और परिवार का सुकून छिन्न-भिन्न करता जा रहा है।

वह किसान जो लोगों का पेट भरने के लिए मेहनत- मशक़्क़त करता है, ब्याजाधारित ऋण की क्रूरता से छुटकारा पाने के लिए आत्महत्या पर विवश है। ऐसे किसानों की संख्या लाखों लाख तक पहुंच गयी है। इसी ब्याजपरक अर्थव्यवस्था ने देश के 80 प्रतिशत धन-संसाधन 10 प्रतिशत लोगों के चंगुल में देकर बाक़ी 90 प्रतिशत आबादी की झोली में सिर्फ़ 10 प्रतिशत मुद्रा रहने दी है। आर्थिक वर्ग-संघर्ष तेज़ और भयावह रूप लेता जा रहा है।

लुभावने नारों के बीच आम आदमी को अपनी आर्थिक दुर्दशा से मुक्ति का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। वह हताश और मायूस है। कोई विकल्प न होने के कारण डकैती, चोरी, लूट, ग़बन, रिश्वत और 'फिरौती के लिए अपहरण' का चलन भी तेज़ी से बढ़ रहा है। लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है कि कृपाशील दयावान ईश्वर ने अपने बन्दों को ऐसी लाचारी व बेबसी में डाल दिया हो। उस प्रभु ने सन्मार्ग-दर्शन अवश्य किया है। इन्सानों को बेबस व बेसहारा न वह छोड़ सकता था, न ही छोड़ रखा है। वह रास्ता कौन-सा है ? निश्चित रूप से वह इस्लाम का रास्ता है।

इस्लाम पूरी मानवता का हितैषी है। इसने धन-दौलत कमाने और इसके लिए परिश्रम व भाग-दौड़ को व्यक्ति और समाज दोनों के लिए भलाई का माध्यम बनाया है। क़ुरआन (102:1-2) में धन को इस तरह से जमा करने की प्रवृत्ति की कठोर शब्दों में निंदा की गयी है कि माल-दौलत कुछ मुट्ठियों में बंद, कुछ तिजोरियों में इकट्ठी और धनाढ्यों,

Jamaat-e-Islami Social Service Society (Regd), Gaya

The Society is in service in the field of education, health and Islamic understanding for the last 34 years. Our resources are limited, our task is tremendous. We seek your co-operation in the following activities:-

1. **IQRA PUBLIC SCHOOL :** Besides 800 paying students, about 150 poor or orphan girls & boys are provided free education upto Matriculation with Islamic Carriculam.
2. **MILLAT HOSPITAL :** Every year about 15000 poor & needy patients are provided with free medical treatment & medicine besides other services.
3. **INTEREST-FREE SOCIETY :** Provides short-term loan without interest to needy people.
4. **ISLAMIC INFORMATION CENTRE :** Established at Bodh-Gaya, where lakhs of foreigners visit every year during Nov - March. The Centre provides reading materials on Islam, distributes Islamic literature and invites interested visitors for discussion besides inter-faith dialogue on regular basis.

Kindly send your cheque/draft in favour of the society

(Q. Hoda) Chairman — *(Prof. M. B. Zaman)* Secretary

JISSS, Millat Campus, Leitch Road, Gaya-823001

साहूकारों, पूंजीपतियों के पास सिमट कर रह जाए और परिणामत: लाखों-करोड़ों आम लोग अपनी आजीविका के साधनों से भी वंचित रह जाएं । स्वयं पर दूसरों को वरीयता देने की शिक्षा दी गयी है (कुरआन, 59:9)। कहा गया है कि तुम्हारे माल में वंचितों और मांगने वालों का भी अधिकार है (कुरआन, 51:19)। ब्याज को पूर्णत: निषिद्ध ठहराते हुए कुरआन कहता है कि जो लोग ब्याज खाते हैं उनका हाल उस व्यक्ति जैसा है, जिसे शैतान ने छूकर बावला कर दिया हो (कुरआन, 2:275)। व्यापार को पवित्र बनाने के लिए धोखा, और माप-तौल में कमी करने को धरती में बिगाड़ फैलाना बताया है । माल को जमा करके रखने वालों को चेतावनी देते हुए उन्हें (पारलौकिक जीवन में) कष्टदायक यातना की सूचना दी गयी है । (कुरआन, 104:2-4)

इस्लाम जीवन की सुख-सुविधाओं के लिए प्रयासों से मनुष्य को नहीं रोकता है (कुरआन, 7:32)। अल्लाह के रसूल (सल्ल०) ने हलाल कमाई के लिए भाग-दौड़ करने और अपने बीवी-बच्चों के लिए जीवन सामग्री जुटाने के प्रयासों को गरिमा प्रदान करते हुए "अल्लाह के मार्ग में किया गया प्रयास" बताया है । माल कमाने के साथ-साथ इस्लाम उसे ख़र्च करने के लिए भी संतुलित सीमाएं निर्धारित करता है । माल इन्सान के पास अल्लाह का धरोहर (अमानत) है अत: उसे अल्लाह के बताए हुए तरीक़े पर ही ख़र्च किया जाएगा । न अपव्यय करके माल को बरबाद किया जाना चाहिए और न ही कंजूसी करके समाज को माल के लाभों और उसकी उपयोगिता से वंचित किया जाना चाहिए। आमदनी के स्रोत की पवित्रता को अनिवार्य ठहराया गया है और ग़लत ढंग से एक-दूसरे का माल खाने को अपनी हत्या करने जैसा बताया गया है (कुरआन, 4:29)।

इस प्रकार इस्लाम ने अर्थव्यवस्था को स्वस्थ आधारों पर खड़ा किया है । इसने एक ऐसे समाज के निर्माण को सभी इन्सानों का पहला लक्ष्य बताया है, जहां जीविकोपार्जन भी इबादत हो । जहां केवल पवित्र और हलाल कमायी ही की जाती हो (और पवित्र माल वह है जो हलाल तरीक़ों से कमाया जाए और उसे इस प्रकार ख़र्च किया जाए, जो मानवता के लिए कल्याणकारी और उपयोगी हो । कमाई के साथ-साथ ख़र्च करने के नियम भी निर्धारित कर दिए गये हैं ।

इस्लाम की आर्थिक व्यवस्था सीधे समाजहित से जुड़ी हुई है । जकात (अनिवार्य दान) सदक़ा-ख़ैरात (स्वैच्छिक-दान) द्वारा राष्ट्रीय धन-संसाधन और माल-दौलत को ऊपर से नीचे, प्रवाहित होते रहने का प्रावधान किया गया है, जिसमें धनवानों की दौलत एक स्वचालित प्रक्रिया से निरंतर निर्धनों और ज़रूरतमंदों के पास पहुंचती रहे, धन-लोलुपता का विष समाज के लिए घातक बनने से पहले ही विलुप्त हो जाए । आर्थिक वर्ग-संघर्ष की आग में समाज जलने न पाए, ग़रीब लोग समझें कि अमीर लोगों को हमारी आवश्यकताओं की चिंता रहती है, वे हमारे शत्रु, शोषणकारी और प्रतिद्वंद्वी नहीं, हमारे शुभचिंतक, हमारे हितैषी व सहयोगी हैं । वे हमें क़र्ज़ देंगे तो ब्याज के सिरिंज से हमारे आर्थिक शरीर का ख़ून नहीं निचोड़ेंगे, बल्कि पुण्य कार्य समझ कर हमारी सहायता की भावना से क़र्ज़ देंगे ।

इस्लाम ने समाज में वित्तीय संसाधनों को मात्र कुछ ही लोगों के हाथों में सीमित न रहने देने के लिए तरका (Inheritance) की ऐसी प्रणाली बनाकर लागू की जिससे एक व्यक्ति जो माल, दौलत, प्रॉपर्टी, जायदाद, बैंक बैलेंस आदि छोड़कर मरता है तो वह सब कुछ निकट संबंधियों, ख़ून के रिश्तों में अनेक लोगों (पुरुषों व स्त्रियों दोनों) के बीच थोड़ा-थोड़ा बंट जाता है । इस तरह माल समाज में फैलता है, कुछ लोगों तक सीमित नहीं रह जाता । न धनाढ्यों की संख्या बहुत बढ़ने पाती है, न निर्धनों, महरूमों, परेशानहाल लोगों की संख्या । इस प्रकार इस्लाम व्यक्ति, समाज, देश की आर्थिक सुदृढ़ता सुनिश्चित करता है ।

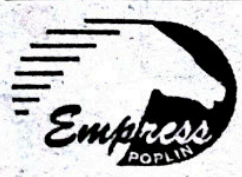

NEW EMPRESS MILLS

1st Phase Industrial Area BALOTRA-344022 (Raj.)

Visit us. www.Empress. com. E-mail : empresspoplin@hotmail.com

(M) SAYED PARWAN ALI 09214408133

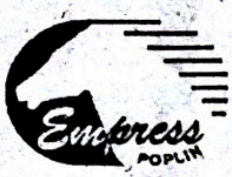

LILLY लिली गोल्ड GOLD

Superior Nighty

KAJAL काजल गोल्ड GOLD

MFG. OF : HIGHCLASS STANDARD POPLIN & NIGHTY PRINTS

इदारा दअ्वतुल क़ुरआन

इदारे की हिन्दी प्रकाशन

तफ़सीर

शम्स पीरज़ादा (रह०)

हिन्दी अनुवाद

मुहम्मद नस्रुल्लाह

जिल्द-1

(पारा 1 से पारा 10 तक) सूरह फ़ातिहा ता सूरह तौबा ₹300/-

जिल्द-2

(पारा 11 से पारा 20 तक) सूरह यूनुस ता सूरह अनकबूत ₹250/-

जिल्द-3

(पारा 21 से पारा 30 तक) सूरह रूम ता सूरह नास ₹300/-

- मौज़ूअ और ज़ईफ़ हदीसों का चलन 9/-
- क्या क़ुरआन को समझ कर पढ़ना ज़रूरी नहीं? 6/-
- तलाक़ कब और कैसे? 6/-
- सुनो अपने रब (पालनहार की) 10/-
- पारा अम्म 65/-

निम्नलिखित पुस्तकों के उर्दू, मराठी, गुजराती तथा अंग्रेज़ी के अनुवाद भी उपलब्ध हैं।

इदारा दअ्वतुल क़ुरआन

59-मुहम्मद अली रोड, मुंबई-400003

फ़ोन : 23465005

अफ़लातूनों की बस्ती

■ इक़बाल अंसारी

ठिगने यात्री का सिर चकराने लगा...आवाज़ें, आवाज़ें, आवाज़ें ! जब कोई आवाज़ बहुत ऊंची हो जाती है तो शोर बन जाती है और जब बहुत-सी आवाज़ें मिल जाती हैं तो 'बड़ा शोर' बन जाता है । यहां हर तरफ़ 'बड़ा शोर' था । ठिगने यात्री ने बौखला कर एक लंबे स्थानीय व्यक्ति से पूछा, ''भाई, तुम्हारी बस्ती में इतना शोर क्यों है ?''

स्थानीय व्यक्ति ने ऊपर से नीचे तक इस 'संक्षिप्त' से यात्री को देखा और पूछा, ''कहीं बाहर से आये हो ?''

यात्री ने उत्तर दिया, ''हां बहुत दूर से कई समुद्रों के पार से ।'' लंबा स्थानीय व्यक्ति बड़े अभिमान से बोला, यह बुद्धिमानों की बस्ती है । ''बुद्धिमानों की बस्ती'', यात्री ने इस प्रकार दोहराया, जैसे बात उसके पल्ले न पड़ी हो, प्रश्नवाचक मुद्रा में थोड़ी देर पलकें झपकाने के बाद उसने कहा, भाई, मैं बिल्कुल नहीं समझा ! शोर से बुद्धिमानी का या बुद्धिमानी से शोर का क्या संबंध है ?'' स्थानीय व्यक्ति समझाने वाली शैली में बोला, ''बुद्धिमानों की आवाज़ें ही तो शोर बनती हैं ।'' यात्री ने झिझकते हुए मगर कुछ आश्चर्य से कहा, तुम्हारे यहां बुद्धिमान शोर करते हैं ?

बिल्कुल, बुद्धिमान और क्या करेंगे ? स्थानीय व्यक्ति ने स्पष्ट किया । फिर कुछ झिझकते हुए यात्री ने कहा, ''मगर मैंने तो कहीं पढ़ा है कि बुद्धिमान सामान्यतया चुप रहते हैं...अर्थात बहुत कम बोलते हैं...बोलते हैं तो केवल अत्यधिक आवश्यकता पड़ने पर...?

हां...हां..., स्थानीय व्यक्ति ने लापरवाही से सिर हिलाया, ''एक समय में बुद्धिमान यह मूर्खता भी करते थे...मगर मूर्खता क्यों, उनके पास कहने को बहुत कुछ था ही नहीं । वास्तविकता यह थी कि वे बहुत सीमित ज्ञान और बहुत थोड़ी तत्वदर्शिता वाले लोग थे...लेकिन अब समय बदल गया है । आज का हमारा बुद्धिमान बहुत समझदार हो गया है । अत: वह चुप नहीं रहता । वह बोलता है, परामर्श देता है, पाठ पढ़ाता है, शिक्षा देता है । मेरी बस्ती का प्रत्येक व्यक्ति लंबा-चौड़ा है, प्रत्येक व्यक्ति बुद्धिमान है ।''

ठिगने यात्री ने कुछ सोचते हुए कहा, ''और तुम्हारी बस्ती में जो लोग लंबे-चौड़े नहीं हैं, वे ?''

लंबे व्यक्ति ने बड़े सीधे-सादे ढंग से कहा, ''वे भी बुद्धिमान हैं, कहा न कि यह बुद्धिमानों की बस्ती है, इसलिए शोर तो होगा ही ।'' यात्री ने कहा, ''इसका अर्थ तुम्हारी बस्ती का प्रत्येक व्यक्ति परामर्श देता है, प्रत्येक व्यक्ति पाठ पढ़ाता है, प्रत्येक व्यक्ति शिक्षा देता है ?''

निश्चित रूप से, स्थानीय व्यक्ति ने स्वीकृति में अपना सिर हिलाया । यात्री बोला, ''अर्थात तुम्हारी बस्ती का प्रत्येक व्यक्ति अरस्तू है और...'' ''अफ़लातून'', स्थानीय व्यक्ति ने उसकी बात काट कर मानो सही किया ।

अर्थात अरस्तू का गुरु ''निश्चित रूप से'' स्थानीय व्यक्ति ने फिर सिर हिलाकर यात्री के बात का समर्थन किया और कहा, यह अफ़लातूनों की बस्ती है ।

यात्री के माथे पर सोच-विचार की लकीरें कुछ और स्पष्ट हो गयीं, प्रश्नवाचक शैली में वह बोला, 'जब तुम्हारी बस्ती में सभी व्यक्ति अफ़लातून हैं तो वे परामर्श किसे देते हैं, शिक्षा किसे देते हैं ?'' स्थानीय व्यक्ति ने बड़े भोलेपन से कहा, ''एक-दूसरे को ।'' यात्री ने पूछा, ''तुम्हारी बस्ती का एक अफ़लातून दूसरे अफ़लातून का परामर्श, पाठ और उसकी शिक्षा स्वीकार कर लेता है ?''

''प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता'', स्थानीय व्यक्ति ने लापरवाही दिखायी । ''अर्थात कोई किसी का परामर्श या पाठ स्वीकार नहीं करता ।'' ''न'' स्थानीय व्यक्ति ने न में सिर हिलाया । ''फिर होता क्या है ?'' यात्री ने पूछा–स्थानीय व्यक्ति ने उत्तर दिया, ''शोर संघर्ष ।'' ''संघर्ष'' यात्री ने इस प्रकार दोहराया, जैसे बात फिर उसकी समझ में नहीं आयी हो । ''समझने की कोशिश करो'' स्थानीय व्यक्ति की शैली समझाने वाली थी । प्रत्येक व्यक्ति परामर्श देने पर उतारू है और कोई किसी का परामर्श स्वीकार करने को राज़ी नहीं है । अत: शोर और संघर्ष अपरिहार्य है । उधर देखो वह अंधे

HUDA BUILDERS & DEVELOPERS

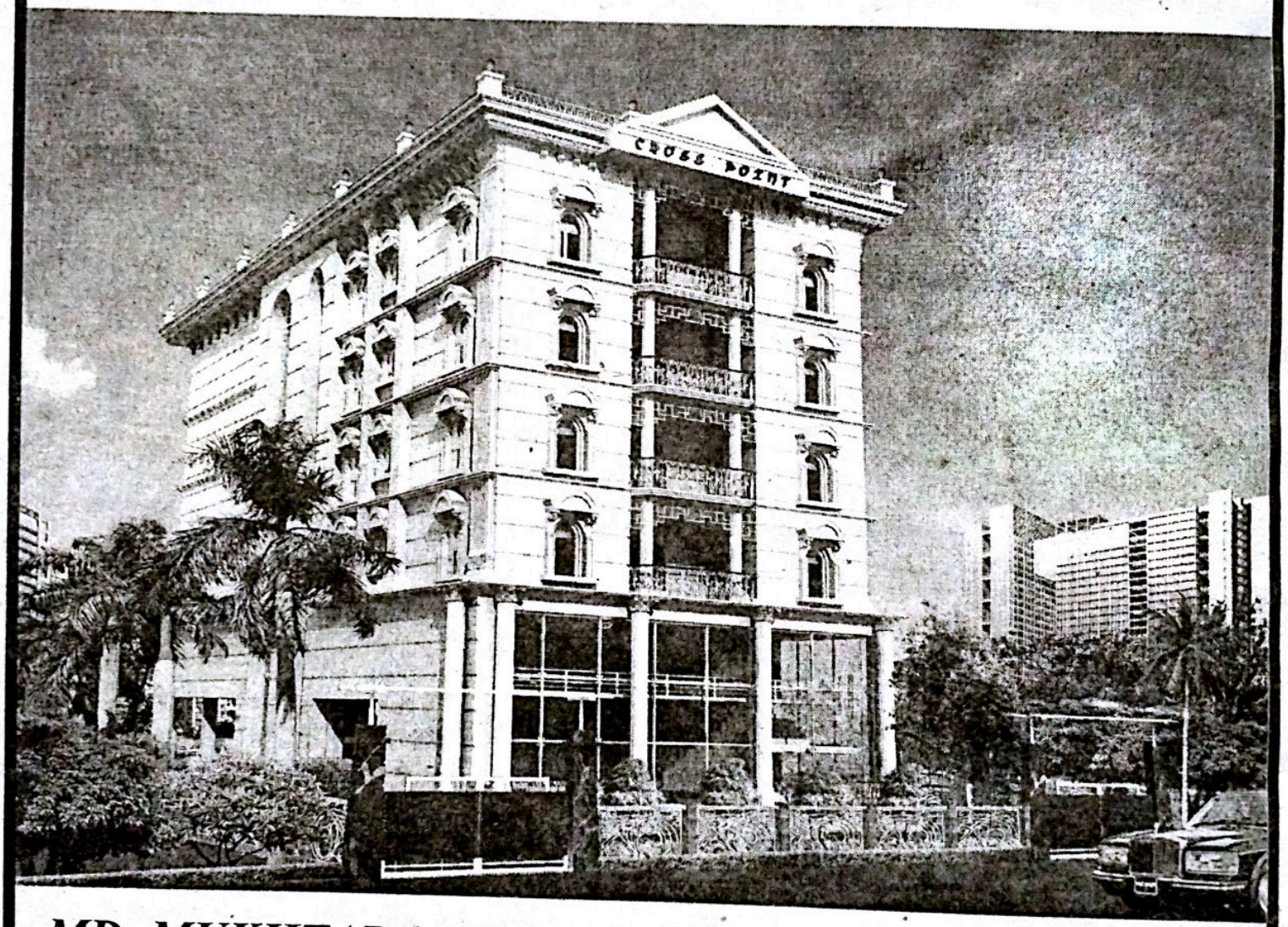

MD. MUKHTAR AHMED

MOBILE NO. : 9820127170

385, Sane Guruji Marg, Next to I.T.I College (Ghass Gali),
Mumbai-400011
Tel. No. : 23482660/23482688/23482762
Fax : 23484245

छात्रों का समूह है । राज्य सरकार के शिक्षा विभाग को सबक़ सिखाने के लिए हिंसात्मक आक्रामकता के साथ शोर संघर्ष कर रहा है ।'' ''और पुलिस मूक दर्शक बनी क्यों खड़ी है ?'' यात्री ने पूछा । ''छात्रों को शिक्षा देने के लिए ऊपर के आदेशों की प्रतीक्षा कर रही है ।'' स्थानीय व्यक्ति ने बताया, फिर जल्दी से बोला, ''लो ! संभवत: आदेश मिल गया । पुलिस ने उन अंधों को डंडों की शक्ति दिखाने का काम शुरू कर दिया...वह एक अंधा गिरा...दूसरे का सिर फटा...ज़रा यह भगदड़ देखो...भागम-भाग में एक-दूसरे को कुचल रहे हैं...।''

अचानक यात्री के मुंह से स्ववार्ता की शैली में निकला ''ये अंधे बुद्धिमान आंख वाले डंडाधारियों के आगे कब तक टिकेंगे ?...वह एक और गिरा...एक और...।''

''गिरते ही रहते हैं, गिरने में दक्ष हैं, इस बस्ती के लोग । स्थानीय व्यक्ति ने यात्री की बात लापरवाही से काटी और बोला, ''इधर देखो इस ओर वहां किसानों की रैली हो रही है, जो विभिन्न राज्यों से लाखों की संख्या में यहां सरकार को शिक्षा देने के उद्देश्य से जमा हुए हैं ।

''ये लोग कुछ नारे भी लगा रहे हैं, यात्री बड़ी उत्सुकता से बोला–लगाएंगे ही, वे भी तो बुद्धिमान हैं'', स्थानीय व्यक्ति गर्व से बोला । ध्यान देकर नारे को सुनते हुए यात्री ने पूछा, 'इन नारों का अर्थ क्या है ?''

स्थानीय व्यक्ति ने कंधे झटके, ''यह तो शायद उन नारे लगाने वालों को भी मालूम नहीं होगा ।''.

''क्या मतलब'', यात्री चौंक कर स्थानीय व्यक्ति की ओर देखने लगा । ''मतलब यह कि ज़रूरी नहीं कि प्रत्येक बुद्धिमान उसका मतलब भी जानता हो, जो कुछ वह कह रहा है ।'' स्थानीय व्यक्ति ने समझाने वाली शैली में कहा, मगर छोड़ो ये बुद्धिमत्ता की बातें हैं, तुम नहीं समझोगे... तुम्हारा संबंध किसी ऐसी बस्ती से है, जिसके पास बुद्धिमत्ता की इतना प्राचीन और इतना लंबा इतिहास नहीं है । हम प्राचीन हैं, इतिहास हैं, सर्वमान्य बुद्धिमान हैं ।''

''तुम्हें बुद्धिमत्ता की मान्यता किसने दी ?'' यात्री ने धीरे से पूछा । ''स्वयं हम ने'', स्थानीय व्यक्ति ने बड़े गर्व से बताया । हमें किसी के प्रमाण की न आवश्यकता है और न परवाह । इतना ही पर्याप्त है कि हम स्वयं को बुद्धिमान समझते हैं और अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करते रहते हैं...। वह उधर देखो वे सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर सरकार का इलाज करने के लिए अस्पतालों के रोगियों को छोड़कर संड़कों पर निकल आये हैं और हंगामे के साथ संघर्ष कर रहे हैं और पुलिस उन्हें शिक्षा देने के उद्देश्य से उन पर लाठी चार्ज कर रही है । अभी गोली भी चलेगी...। और वहां इस ओर जो दो समूह गुत्थम-गुत्था हैं और एक-दूसरे का ख़ून बहा रहे हैं वे दो राजीतिक दलों के बुद्धिमान हैं, जो एक-दूसरे को नीचा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि ख़ुद को दूसरे से ऊंचा करने के लिए भिड़े हुए हैं ।''

''और पुलिस कहां है ?'' यात्री ने पूछा ।

कहीं न कहीं अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन कर रही होगी, स्थानीय व्यक्ति ने कहा । अपने समय पर अर्थात रक्तपात समाप्त होने के बाद रक्तपात के स्थल पर पहुंच जाएगी और घायलों को अस्पताल और मृतकों को मुर्दाघर पहुंचाने की व्यवस्था कर देगी, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है ।

अचानक एक ज़बरदस्त धमाका हुआ इतना ज़बरदस्त की यात्री उछल कर औंधे मुंह गिरा, मगर स्थानीय व्यक्ति बड़े आराम और लापरवाही से उसी तरह अपनी जगह पर खड़ा रहा । यात्री को ऐसा लगा कि उसके कान का पर्दा ही नहीं, बल्कि उसका पूरा अस्तित्व ही फट गया हो । बड़े जतन से वह खड़ा हुआ और एक डरी-डरी आवाज़ उसके मुंह से निकली, ''यह...यह ।''

बम धमाका सुनकर चौंक पड़े हो...यह यहां रोज़-रोज़ होता है ।

यात्री ने चारों ओर नज़र डाली और बोला, ''हर तरफ़ कितना ख़ून बह रहा है ।''

स्थानीय व्यक्ति की गर्दन भी गर्व से अकड़ी हुई थी और कंधे में राष्ट्रीय अभिमान से एक खिंचाव आ गया था । आवाज़ उसके मुंह से अभिमान बनकर निकली । हम एक ज़िन्दा क़ौम हैं...ज़िन्दा क़ौमें ही ख़ून बहा सकती हैं, मुर्दा क़ौमें न ख़ून बहा सकती हैं और न शोर कर सकती हैं, न ही संघर्ष । मुर्दा क़ौमें अफ़लातून पैदा नहीं कर सकती ।''

इन सभी शोर, टकराव, रक्तपात और धमाकों के बीच अचानक उस यात्री को एक अथाह सुख का अनुभव हुआ और अनायास ही उसके मुंह से निकला, ''पालनहार तेरा लाख-लाख शुक्र है कि तूने मुझे इस ज़िन्दा क़ौम का सदस्य नहीं बनाया ।''

विश्व कप क्रिकेट की कहानी

❖ ए॰ एन॰ शिबली

एकदिवसीय क्रिकेट का सब से पहला मैच 5 जनवरी 1971 को ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेला गया। हुआ यह की ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच मेलबोर्न में खेले जाने वाले तीसरे टेस्ट मैच के पहले तीन दिन का खेल बारिश की वजह से नहीं हो सका। दर्शकों की निराशा को दूर करने के लिए आयोज़कों ने सोचा की इस मैच को रद्द कर के इस की जगह एक सीमित ओवर का एक मैच करा दिया जाए। इस तरह 5 जनवरी को ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच चालीस ओवरों का मैच खेला गया। इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीत कर पहले इंग्लैंड को बल्लेबाज़ी की दावत दी। पहले खेलते हुए इंग्लैंड की पूरी टीम 190 रन बनाकर आउट हो गयी। जॉन एडरीच ने सबसे ज़्यादा 82 रन बनाये। ऑस्ट्रेलिया ने जीत के लिए 191 रन 35 ओवर में बना लिये और इस प्रकार इतिहास का सबसे पहला एकदिवसीय मैच ऑस्ट्रेलिया ने जीता। इस के बाद एकदिवसीय मैचों का सिलसिला शुरू हो गया। इतिहास का दूसरा एकदिवसीय मैच 24 अगस्त 1972 को खेला गया। शुरू में कम मैच खेले जाते थे। इसका अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है की 1975 में जब पहली बार एकदिवसीय क्रिकेट के विश्व कप का आयोजन हुआ तो उस समय तक सिर्फ़ 18 मैच ही खेले गये थे।

पहला विश्व कप 1975

पहले विश्व कप की मेज़बानी का मौक़ा इंग्लैंड को मिला। पहले विश्व कप में आठ टीमों ने भाग लिया। इनमें छह टीमें ऑस्ट्रेलिया , इंग्लैंड , पाकिस्तान, न्यूज़ीलैंड, भारत और वेस्टइंडीज़ की थीं, जबकि बाक़ी की दो टीमें श्रीलंका और ईस्ट अफ़्रीक़ा की थीं। आठ टीमों को दो ग्रुप में बांटा गया था। ग्रुप ए में इंग्लैंड , न्यूज़ीलैंड , भारत और ईस्ट अफ़्रीक़ा की टीम थी, जबकि ग्रुप बी में ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान , श्रीलंका, और वेस्टइंडीज़ को रखा गया था। पहले विश्व कप का पहला मैच इंग्लैंड और भारत के बीच खेला गया। पहले ही मैच में भारत को 202 रनों से शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। अगले मैच में कमज़ोर टीम ईस्ट अफ़्रीक़ा को भारत ने 10 विकेट से हराया। पहले विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूज़ीलैंड और वेस्टइंडीज़ की टीमें सेमीफ़ाइनल में पहुंचीं। पहले सेमीफ़ाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 6 विकेट से हराया जबकि दूसरे सेमीफ़ाइनल में न्यूज़ीलैंड को वेस्टइंडीज़ के हाथों 5 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। फ़ाइनल 21 जून को लॉर्ड्स में खेला गया। वेस्टइंडीज़ ने पहले बल्लेबाज़ी की दावत मिलने के बाद पहले खेलते हुए निर्धारित 60 ओवर में 8 विकेट पर 291 रन बनाये। वेस्टइंडीज़ के कप्तान कलाइव लायड ने शतक बनाया। जवाब में ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 274 रन बनाकर आउट हो गयी और इस प्रकार पहला विश्व कप जीतने का गौरव वेस्टइंडीज़ को प्राप्त हुआ। लायड को मैन ऑफ़ द मैच का पुरस्कार मिला।

दूसरा विश्व कप 1979

1979 में दूसरे विश्व कप का आयोजन भी इंग्लैंड में ही हुआ। पहले विश्व कप की तरह इस बार भी इसमें आठ टीमों ने भाग लिया। इनमें ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, भारत, न्यूज़ीलैंड, वेस्टइंडीज़ और पाकिस्तान वे टीमें थीं जिन्हें टेस्ट खेलने का दर्जा प्राप्त था, जबकि श्रीलंका और कनाडा को इसलिए शामिल किया गया था क्योंकि इन टीमों ने आई॰सी॰सी॰ ट्रॉफी में पहली दो पोज़ीशन हासिल की थी। इस बार भी टीमों को दो ग्रुपों में बांटा गया। ग्रुप ए में भारत, न्यूज़ीलैंड, श्रीलंका और वेस्टइंडीज़ को रखा गया, जबकि ग्रुप बी में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, पाकिस्तान और कनाडा की टीमें थीं।

पहले विश्व कप की भांति इस बार भी सबसे पहले मैच में भारतीय टीम शरीक रही। भारत और वेस्टइंडीज़ के बीच हुए इस मैच में भारत को नौ विकटों से हार मिली। दूसरे विश्व कप में भारत की टीम एक मैच भी नहीं जीत सकी। पहले सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने न्यूज़ीलैंड को 9 विकेट से जबकि दूसरे सेमीफ़ाइनल में वेस्टइंडीज़ ने पाकिस्तान को 43 रनों से हराकर फ़ाइनल में खेलने का हक़ हासिल किया। 23 जून को खेले गये फ़ाइनल में पहले बल्लेबाज़ी करते हुए वेस्टइंडीज़ ने विवियन रिचर्ड्स के 138 रनों की मदद से 286 रन बनाये। जवाब में इंग्लैंड की पूरी टीम सिर्फ़ 194 रन बनाकर आउट हो गयी और इस



"पहुंचा दो मेरी ओर से चाहे एक ही आयत क्यों न हो"

–हज़रत मुहम्मद सल्ल॰

आइए लोगों तक कुरआन पहुंचाएं !
आइए ! अपने फ़र्ज़ मंसबी को अदा करें !!

आइये ! अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) की अज़ीम सुन्नत को अदा करें !!!

कुरआन और हदीस से यह बात साबित है कि अब क़ियामत तक कोई नबी या रसूल आने वाला नहीं है । क़ियामत तक आने वाले इन्सानों के लिए अल्लाह तआला मुकम्मल हिदायतनामा "कुरआन मजीद" के तौर पर दे चुका है । अब इस हिदायतनामा यानी कुरआन मजीद को पूरी इन्सानियत तक पहुंचाने की ज़िम्मेदारी मुस्लिम उम्मत की है । क्या हम इस ज़िम्मेदारी को अदा कर रहे हैं ? यदि नहीं तो तुरंत इसकी चिंता करें, इससे पहले कि अल्लाह हम से हिसाब ले।

अत: प्रत्येक मुसलमान यह प्रोग्राम बनाए कि

- वह अपने ग़ैर-मुस्लिम दोस्त या पड़ोसी या जिन ग़ैर-मुस्लिमों से ताल्लुक़ात हों, उन्हें अपने घर आमंत्रित करे और कुरआन मजीद का अज़ीम तोहफ़ा पेश करे ।
- यदि उन्हें घर नहीं बुला सकते हों तो उनके पास जाए और उनकी सेवा में कुरआन मजीद का तोहफ़ा पेश करे ।

SALAAM Centre

Head Office: # 65/1, 1st Main Road, S.R.K. Garden, JAYANAGAR EAST, Bangalore - 41
Branch: G.C., RICH HOMES, RICHMOND ROAD, Bangalore - 25, Cell: 99451 88488, 99451 77477
Email: salaamcentrebangalore@gmail.com www.salaamcentre.org

प्रकार वेस्टइंडीज़ ने लगातार दूसरा विश्व कप जीत लिया। रिचर्ड्स को मैन ऑफ़ द मैच का पुरस्कार मिला ।

तीसरा विश्व कप 1983

लगातार तीसरे विश्व कप का आयोजन 1983 में इंग्लैंड में हुआ । पहली दो बार की भांति इस विश्व कप में भी आठ टीमों ने भाग लिया । सात टेस्ट खेलने वाली टीमों के अलावा आठवीं टीम जिम्बाब्वे की थी । इन आठ टीमों को दो ग्रुपों में बांटा गया । इंग्लैंड न्यूज़ीलैंड, पाकिस्तान और श्रीलंका की टीम को ग्रुप ए में रखा गया, जबकि ग्रुप बी में ऑस्ट्रेलिया, भारत, वेस्टइंडीज़ और जिम्बाब्वे की टीमें थीं । इस बार भारत की टीम सेमीफ़ाइनल में पहुंची जहां उसने मेज़बान इंग्लैंड को हराया । दूसरे सेमीफ़ाइनल में वेस्टइंडीज़ की टीम ने पाकिस्तान को हराया और लगातार तीसरी बार फ़ाइनल में पहुंची । चूंकि वेस्टइंडीज़ की टीम एक मज़बूत टीम थी और उस समय भारत की कोई हैसियत नहीं थी इसलिए सब ने यह पहले ही सोच लिया की भारत को हार का मुंह देखना पड़ेगा । 25 जून को खेले गये फ़ाइनल में भारत ने पहले बल्लेबाज़ी की और उसकी पूरी टीम सिर्फ़ 183 रन बनाकर आउट हो गयी । वेस्टइंडीज़ जैसी मज़बूत टीम के लिए यह बहुत ही मामूली लक्ष्य था । मगर इस मामूली टार्गेट का पीछा करते हुए वेस्टइंडीज़ की पूरी टीम सिर्फ़ 140 रन के स्कोर पर आउट हो गयी और इस प्रकार भारत ने सारी दुनिया को हैरान करते हुए वेस्टइंडीज़ जैसी मज़बूत टीम को हरा कर कपिल देव की कप्तानी में विश्व कप जीत लिया । महिंदर अमरनाथ को मैन ऑफ़ द मैच का ख़िताब मिला ।

चौथा विश्व कप 1987

1987 में चौथा विश्व कप संयुक्त रूप से भारत और पाकिस्तान की मेज़बानी में हुआ । पहले तीन विश्व कपों की तरह इस बार भी इस में आठ टीमों ने भाग लिया मगर इस बार मैच 60 ओवर के बजाये 50 ओवर के हुए । भारत और पाकिस्तान की टीमें सेमीफ़ाइनल में तो पहुंची मगर अफ़सोस की बात यह रही की दोनों ही मेज़बान देश को सेमी फ़ाइनल में हार का सामना करना पड़ा । लाहौर में खेले गये पहले सेमीफ़ाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 18 रनों से हराया, जबकि मुंबई में खेले गये दूसरे सेमीफ़ाइनल में इंग्लैंड ने भारत को 25 रनों से हरा दिया । फ़ाइनल 8 नवंबर को कोलकाता के ईडेन गार्डेन में खेला गया । फ़ाइनल में टॉस ऑस्ट्रेलिया ने जीत कर पहले बल्लेबाज़ी की और निर्धारित 50 ओवर में 5 विकेट के नुक़सान पर 253 रन बनाये । जवाब में इंग्लैंड की टीम ने पूरे 50 ओवर तो खेले मगर सिर्फ़ 246 रन ही बना सकी । इस तरह ऑस्ट्रेलिया ने 7 रनों से जीत हासिल की और पहली बार विश्व कप हासिल किया । डेविड बून को मैं ऑफ़ द मैच के ख़िताब से नवाज़ा गया ।

पांचवां विश्व कप 1992

1992 में हुए पांचवें विश्व कप की मेज़बानी संयुक्त रूप से ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड ने की । चूंकि काफ़ी दिनों के बाद दक्षिण अफ़्रीक़ा की भी क्रिकेट में वापसी हो चुकी थी इसलिए इस बार विश्व कप में आठ के बजाय 9 टीमों ने भाग लिया । इस बार टीमों को ग्रुप में नहीं बांटा गया बल्कि लीग मैचों के बाद पहली चार पोज़ीशन पर रहने वाली टीम को सेमीफ़ाइनल में खेलने का मौक़ा मिला । ऑकलैंड में खेले गये पहले सेमीफ़ाइनल में पाकिस्तान ने न्यूज़ीलैंड को 4 विकेट से हराया, जबकि दूसरे सेमीफ़ाइनल में इंग्लैंड ने दक्षिण अफ़्रीक़ा को 19 रनों से हराया । इंग्लैंड और दक्षिण अफ़्रीक़ा के मैच में बारिश ने रुकावट डाली और एक बार ऐसा मौक़ा आया जब दक्षिण अफ़्रीक़ा को जीत के लिए एक गेंद पर 20 रन बनाने का लक्ष्य दिया गया । बाद में इस नियम की काफ़ी आलोचना हुई । फ़ाइनल पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच खेला गया । टॉस पाकिस्तान ने जीता और पहले बल्लेबाज़ी करके 247 रन बनाये । जवाब में इंग्लैंड की पूरी टीम 227 रन बनाकर आउट हो गयी और इस प्रकार इमरान ख़ान की कप्तानी में पाकिस्तान विश्व कप जीतने में सफल हो गया । वसीम अकरम को मैन ऑफ़ द मैच का पुरस्कार मिला । इस विश्व कप से मैन ऑफ़ द सीरीज़ अवार्ड देने का सिलसिला भी शुरू हुआ और यह पुरस्कार न्यूज़ीलैंड के मार्टिन क्रो ने जीता ।

छठा विश्व कप 1996

1996 में आयोजित छठे विश्व कप में पहली बार ऐसा हुआ जब विश्व कप की मेज़बानी तीन देशों ने मिलकर की । भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका में संयुक्त रूप से आयोजित इस विश्व कप में इस बार 12 टीमों ने भाग लिया । इन 12 टीमों को दो ग्रुपों में बांटा गया । ग्रुप ए में ऑस्ट्रेलिया, भारत, श्रीलंका, केन्या, वेस्टइंडीज़ और जिम्बाब्वे को रखा गया, जबकि ग्रुप बी में इंग्लैंड, पाकिस्तान,

न्यूज़ीलैंड, दक्षिण अफ़्रीक़ा, संयुक्त अरब अमीरात और नीदरलैंड को रखा गया । क्वाटर फ़ाइनल में जीत हासिल करने के बाद श्रीलंका, भारत, वेस्टइंडीज़ और ऑस्ट्रेलिया की टीमें सेमीफ़ाइनल में पहुंचने में सफल हुईं । कोलकाता में खेले गये पहले सेमीफ़ाइनल में श्रीलंका ने भारत को हरा दिया, जबकि मोहाली में खेले गये दूसरे सेमीफ़ाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने वेस्टइंडीज़ को हरा दिया । 17 मार्च को लाहौर में खेले गये फ़ाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीत कर पहले बल्लेबाज़ी की और निर्धारित 50 ओवर में 7 विकेट के नुक़सान पर 241 रन बनाये । जवाब में अरविंद डेसिलवा के शानदार शतक की मदद से श्रीलंका ने बड़ी आसानी से जीत हासिल क़र ली । डेसिलवा को मैन ऑफ़ द मैच के ख़िताब से नवाज़ा गया । सनथ जयसुरिया मैन ऑफ़ द सीरीज़ चुने गये ।

सातवां विश्व कप 1999

पहले तीन विश्व कप की मेज़बानी के बाद इंग्लैंड को 1999 में एक बार फिर सातवें विश्व कप की मेज़बानी का मौक़ा मिला । इस बार भी इसमें 12 टीमों ने भाग लिया । टीमें दो ग्रुपों में बांटी गईं । ग्रुप ए में इंग्लैंड, भारत, केन्या, दक्षिण अफ़्रीक़ा, श्रीलंका और जिम्बाब्वे को रखा गया ।

ग्रुप बी में ऑस्ट्रेलिया, बंगलादेश, पाकिस्तान, न्यूज़ीलैंड, स्कॉटलैंड और वेस्टइंडीज़ को रखा गया । दोनों ग्रुप से पहली तीन पोज़ीशन हासिल करने वाली टीम सुपर सिक्स में आयीं और फिर सुपर सिक्स के बाद टॉप पर रहने वाली चार टीमों को सेमीफ़ाइनल में जगह मिली । मैनचेस्टर में खेले गये पहले सेमीफ़ाइनल में पाकिस्तान ने न्यूज़ीलैंड को 9 विकेट से हरा दिया, जबकि दूसरे सेमीफ़ाइनल में ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ़्रीक़ा का मैच टाई रहा । विश्व कप में एक बार फिर क़िस्मत ने दक्षिण अफ़्रीक़ा का साथ नहीं दिया और चूंकि लीग मैचों के दौरान उसे ऑस्ट्रेलिया ने हराया था इसलिए ऑस्ट्रेलिया को फ़ाइनल में खेलने का हक़ मिला ।

20 जून को लॉर्ड्स में खेले गये फ़ाइनल में पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाज़ी की और उसकी पूरी टीम सिर्फ़ 132 रन बनाकर आउट हो गयी । बाद में जीत के लिए ज़रूरी रन ऑस्ट्रेलिया ने 21वें ओवर में ही बना लिये । शेन वार्न को मैन ऑफ़ द मैच का ख़िताब मिला । 1987 के बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम दूसरी बार विश्व चैम्पियन बनी । दक्षिण अफ़्रीक़ा के हरफ़नमौला खिलाड़ी लांस क्लूजनर मैन ऑफ़ द सीरीज़ चुने गये ।

आठवां विश्व कप 2003

2003 में आयोजित आठवां विश्व कप संयुक्त रूप से दक्षिण अफ़्रीक़ा, जिम्बाब्वे और केन्या में हुआ । इस बार इस टूर्नामेंट में 14 टीमों ने भाग लिया । 14 टीमें दो ग्रुप में बांटी गयीं । हर ग्रुप से पहला दो स्थान हासिल करने वाली टीम सेमीफ़ाइनल में पहुंची । पहले सेमीफ़ाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका को, जबकि दूसरे सेमीफ़ाइनल में भारत ने केन्या को हराया । फ़ाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाज़ी करते हुए कप्तान रिकी पोंटिंग के शतक की बदौलत निर्धारित 50 ओवर में 2 विकेट के नुक़सान पर 359 रन बनाये । जवाब में भारत की पूरी टीम 234 रन बनाकर आउट हो गयी । ऑस्ट्रेलिया ने लगातार दूसरी और कुल मिलाकर तीसरी बार विश्व कप पर क़ब्ज़ा किया । रिकी पोंटिंग को मैन ऑफ़ द मैच के ख़िताब से नवाज़ा गया, जबकि सचिन तेंदुलकर मैन ऑफ़ द सीरीज़ का पुरस्कार हासिल करने में सफल हुए ।

नौवां विश्व कप 2007

2007 में नौवें विश्व कप का आयोजन पहली बार वेस्टइंडीज़ में हुआ । इस बार इस में 16 टीमों ने भाग लिया जिन्हें चार ग्रुप में बांटा गया । हर ग्रुप से पहले दो नंबर पर रहने वाली टीम सुपर एट में पहुंची और फिर उसके बाद चार टीमें सेमीफ़ाइनल के लिए बची रहीं । पहला सेमीफ़ाइनल श्रीलंका और न्यूज़ीलैंड के बीच खेला गया जिसमें श्रीलंका ने 81 रनों से जीत हासिल की ।

दूसरे सेमीफ़ाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ़्रीक़ा को सात विकेट से हराया । 28 अप्रैल को खेले गये फ़ाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाज़ी की और बारिश के कारण 38 ओवर के इस मैच में 281 रन बनाये । जवाब में श्रीलंका ने 36 ओवर में 8 विकेट के नुक़सान पर 215 रन बनाये । डकवर्थ लूइस नियम का इस्तेमाल करते हुए ऑस्ट्रेलिया को 53 रनों से विजेता घोषित किया गया । 149 रनों की तूफ़ानी इनिंग खेलने वाले एडम गिलक्रिस्ट को मैन ऑफ़ द मैच का पुरस्कार मिला । पूरे टूर्नामेंट में 26 विकेट लेने वाले ग्लेन मैकग्रथ मैन ऑफ़ द सीरीज़ पुरस्कार के लिए चुने गये ।

इस्लाम में मानवाधिकार की सुरक्षा के प्रावधान

■ मौलाना अबुल आला मौदूदी

इस्लामी राज्य में नागरिकों के अधिकार

1. जान-माल की रक्षा

अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने अपने आख़िरी हज के मौक़े पर जो तक़रीर की थी, उसमें फ़रमाया था कि तुम्हारी जानें और तुम्हारे माल एक-दूसरे पर क़ियामत तक के लिए हराम हैं। "जो आदमी किसी मोमिन को जान-बूझकर क़त्ल करे, उसकी सज़ा जहन्नम है, जिसमें वह हमेशा रहेगा, अल्लाह ने उस पर लानत फ़रमायी है और उसके लिए सख़्त अज़ाब तैयार कर रखा है" (क़ुरआन, 4:93)। नबी (सल्ल॰) ने ज़िम्मियों के बारे में भी फ़रमाया कि–"जिसने किसी मुआहिद (यानी ज़िम्मी) को क़त्ल किया वह जन्नत की ख़ुशबू तक न सूंघ सकेगा।

2. इज़्ज़त की रक्षा

दूसरा बड़ा हक़ एक नागरिक की इज़्ज़त की रक्षा है। आख़िरी हज की जिस तक़रीर का मैं ज़िक्र कर चुका हूं उसमें हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) ने मुसलमानों की सिर्फ़ जान-माल ही को एक-दूसरे पर हराम क़रार नहीं दिया था, बल्कि उनकी इज़्ज़त व आबरू को भी क़ियामत तक हराम ठहराया था। क़ुरआन में साफ़ हुक्म है कि–"लोग एक-दूसरे का मज़ाक़ न उड़ाएं, एक-दूसरे की हंसी न करें" (क़ुरआन, 49:11)। "और तुम आपस में एक-दूसरे पर चोटें न करो" (क़ुरआन, 49:11)।

फ़ब्तियां न कसो, इल्ज़ाम न धरो, ताने न दो, खुल्लम-खुल्ला या होठों के अन्दर या इशारों से उसको ज़लील न करो। "एक-दूसरे के बुरे नाम न रखो" (क़ुरआन, 49:11)। "और तुम में से कोई किसी की पीठ पीछे उसकी बुराई न करे" (क़ुरआन, 49:12)। यह है हमारी इज़्ज़त की रक्षा का क़ानून और यह पश्चिम वालों के मानहानि के क़ानून (Defamation) से कई गुना बेहतर है।

3. निजी ज़िन्दगी की सुरक्षा

इस्लाम अपने राज्य के हर नागरिक का यह हक़ क़रार देता है कि उसकी निजी ज़िन्दगी में कोई नामुनासिब दख़लअन्दाज़ी न होने पाये। क़ुरआन का हुक्म है कि–"एक-दूसरे के हालात की टोह में न रहा करो" (क़ुरआन, 49:12)। "लोगों के घरों में उनकी इजाज़त के बग़ैर अन्दर न जाओ" (क़ुरआन, 24:27)। अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने यहां तक ताकीद की कि आदमी ख़ुद अपने घर में अचानक दाख़िल न हो, बल्कि किसी न किसी तरह घर वालों को ख़बरदार कर दे कि वह अन्दर आ रहा है, ताकि मां, बहनों और जवान बेटियों पर ऐसी हालत में नज़र न पड़े, जिसमें न वे उसे पसन्द कर सकती हैं कि उन्हें देखा जाए। न ख़ुद वह आदमी यह पसन्द करता है कि उन्हें देखे। दूसरों के घर में झांकने की कोशिश करना भी सख़्त मना है।

4. व्यक्तिगत आज़ादी की सुरक्षा

इस्लाम यह नियम भी तय करता है कि किसी आदमी को उसका जुर्म अदालत में, और वह भी खुली अदालत में साबित किये बग़ैर क़ैद नहीं किया जा सकता। सिर्फ़ सन्देह की बिना पर पकड़ना और किसी अदालती कार्रवाई के बग़ैर और सफ़ाई पेश करने का मौक़ा दिये बग़ैर क़ैद कर देना



अनाथ लड़कियों की पुकार

VOICE OF ORPHAN GIRLS

मुस्लिम लड़कियों का यतीमख़ाना (गया)

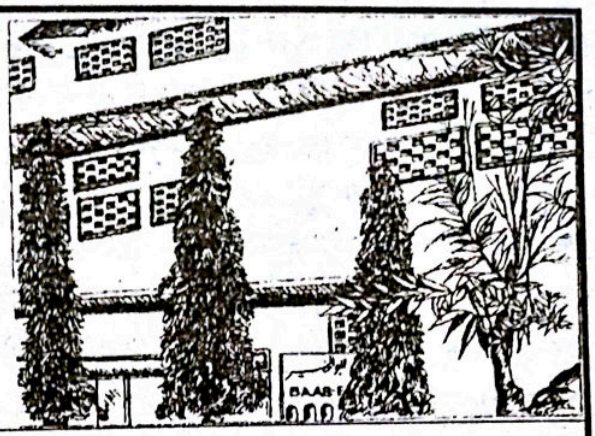

संक्षिप्त परिचय

लड़कियों के लिए आधुनिक और इस्लामी तालीम से लैस राष्ट्रीय स्तर का एक आदर्श रिहाइशी इदारा ● 24 वर्षीय सेवाएं ● 19 विभाग ● शिक्षा : प्राथमिक से मैट्रिक तक ● पत्राचार शिक्षा ● 6 छात्राओं ने हिफ़्ज़ के साथ मैट्रिक पास किया ● प्रौढ़ शिक्षा ● वोकेशनल सेन्टर ● कटिंग और सिलाई : 6 बैच 70 छात्राएं ● ज़री वर्क्स : 3 बैच 40 छात्राएं ● 1993 ई॰ से 2010 ई॰ तक 63 अनाथ बच्चियों और 37 मां-बाप वाली बच्चियों ने मैट्रिक पास किया ● वार्षिक ख़र्च : 13 लाख रुपये से अधिक ● आमदनी का स्रोत : मुस्लिम अवाम के चन्दे ● इदारा 120 अनाथ बच्चियों का सारा ख़र्च पूरा करता है ● किफ़ाला स्कीम के तहत एक यतीम बच्ची का वार्षिक ख़र्च 8000/- रुपये है–आप भी एक अनाथ बच्ची का ख़र्च उठा कर सवाब में शरीक हों ।

सहायता के विभिन्न रूप : ● ज़कात ● सदक़े ● अतिया ● पैदावार की ज़कात ● दीनी किताबें ● ज़मीन की ख़रीदारी और क़र्ज़ की अदायगी ● स्टाफ़ की मासिक आय के लिए 73000/- रुपये ● मां-बाप या रिश्तेदारों के नाम कमरा या हॉल बनवाना और निर्माण कार्यों के लिए ईंटें, सीमेंट, सरिया और अन्य सामग्री या उसका मूल्य देना ● यहां प्रतिवर्ष हिसाब चेक किये जाते हैं और ऑडिट होता है । ● इदारा में ख़ुद आकर बराबरी का नमूना देखें कि अनाथ बच्चियां और वे बच्चियां जिनके मां-बाप हैं किस तरह मिलकर रहा करती हैं ।

यह इदारा आप से उदार सहायता की अपील करता है ।

विदेशी चन्दा देने वाले : भारत सरकार से ''मुस्लिम लड़कियों का यतीमख़ाना (गया) को विदेशों से चन्दा लेने का इजाज़तनामा प्राप्त हो गया है ।

विदेशों में रहने वाले अब BANK A/c No. 300402010009042

BANK CODE NO. UBININBBJAM में अपनी रक़म भेज सकते हैं ।

चेक या ड्राफ्ट पर केवल यह लिखें–"THE GAYA MUSLIM GIRLS ORPHANAGE"

.....पता.....

GENERAL SECRETARY, THE GAYA MUSLIM GIRLS' ORPHANAGE

At : KOLOWNA, P.O.: CHERKI-824237, Distt.: GAYA (BIHAR) INDIA

☎ 0631-2734437 ● Mobile : 9934480190

E-mail : thegayamuslimgirlsorphanage@gmail.com, Website : www.gmgo.org

BANK A/C NO.: 7752 UNION BANK OF INDIA (MAIN BRANCH, GAYA)

CORE BANKING A/C NO.: 300402010007752

संस्थापक महासचिव

इक़बाल अहमद ख़ां

इस्लाम में जायज़ नहीं है ।

5. ज़ुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने का अधिकार

इस्लाम के दिये हुए अधिकारों में से एक अधिकार ज़ुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने का अधिकार है । अल्लाह का इरशाद है कि–''अल्लाह को बुराई के साथ आवाज़ बुलन्द करना पसन्द नहीं है, सिवाय उस आदमी के जिस पर ज़ुल्म किया गया हो'' (क़ुरआन, 4:148)। यानी अल्लाह बुराई पर ज़ुबान खोलने को सख़्त नापसन्द करता है । लेकिन जिस आदमी पर ज़ुल्म किया गया हो, उसको यह अधिकार देता है कि वह खुल्लम-खुल्ला ज़ुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाये ।

6. अपनी राय को आज़ादी से प्रकट करने का अधिकार

इस्लामी हुकूमत में तमाम नागरिकों को अपनी राय प्रकट करने की आज़ादी इस शर्त के साथ दी जाती है कि वह भलाई फैलाने के लिए हो, न कि बुराई फैलाने के लिए । अपनी राय का इज़हार करने की आज़ादी का यह इस्लामी तसव्वुर मौजूदा पश्चिमी कल्पना से कई गुना अच्छा है । बुराई फैलाने की आज़ादी इस्लाम नहीं देता । आलोचना के नाम से अपशब्द कहने की भी वह इजाज़त नहीं देता । अलबत्ता उसके नज़दीक भलाई फैलाने के लिए अपनी राय का इज़हार करने का हक़ सिर्फ़ हक़ ही नहीं बल्कि मुसलमान पर एक फ़र्ज़ भी है, जिसे रोकना ख़ुदा से लड़ाई मोल लेना है और यही मामला बुराई से मना करने का भी है ।

7. संगठन बनाने और सभाएं आयोजित करने की आज़ादी का अधिकार

संगठन बनाने और सभाएं आयोजित करने का अधिकार भी इस्लाम ने लोगों को दिया है, मगर वह भी इस शर्त के साथ है कि वह भलाई फैलाने के लिए हो, बुराई फैलाने के लिए न हो । इस तरह की सभाएं और इस क़िस्म की जमाअत बनाने का सिर्फ़ हक़ ही नहीं, बल्कि इसका हुक्म दिया गया है । क़ुरआन में मुसलमानों को मुख़ातिब करके फ़रमाया गया है–''तुम वह बेहतरीन गिरोह हो जिसे लोगों (के सुधार) के लिए निकाला गया है । तुम नेकी के लिए कहते हो और बुराइयों से मना करते हो और अल्लाह पर ईमान रखते हो'' (क़ुरआन, 3:110)।

8. अन्तरात्मा और आस्था की आज़ादी का अधिकार

इस्लाम अपने समाज और अपनी हुकूमत में लोगों को अंतरात्मा और आस्था की आज़ादी का हक़ भी देता है । क़ुरआन में आया है कि–''दीन में कोई ज़ोर-ज़बरदस्ती नहीं है'' (क़ुरआन, 2:256)। हालांकि सच्चे दीन से बड़ी कोई नेकी नहीं है और मुसलमान उसकी तरफ़ दावत ज़रूर देंगे और उसकी सच्चाई दलीलों से भी साबित करेंगे, मगर यह नेकी लोगों पर दबाव डालकर नहीं की जाएगी । जो आदमी उसको माने तो अपनी मर्ज़ी से माने । हम उसे सीने से लगाएंगे और अपने समाज में बिल्कुल बराबरी के अधिकारों के साथ उसको शामिल करेंगे । लेकिन कोई आदमी उसको न माने तो हम उसका यह अधिकार भी तस्लीम करेंगे कि वह उसको न माने । कोई ज़ोर, दबाव नहीं डाला जाएगा ।

SHATABDI FOUNDATION, GAYA

- Started Shatabdi Public School in 2001 with primary classes, has now developed into a 10+2 CBSE affiliated educational institution with quality education in modern subjects with moral orientation.
- Presently there are around 1000 students who are provided modern teaching facilities. The Foundation also adopts poor/ orphan students
- Under Upwardbound scheme, another project has been launched for preparation of +2 students to compete in Entrance Test for Engineering, Medical and other professional & technical courses.
- Our immediate needs are — Purchase one more school bus, Construction of Prayer Hall & Purchase of 30 Computers.

Ahle Khair Hazrat are Requested to Donate.

Kindly send your cheque/draft in favour of "Shatabdi Foundation, Gaya".

(Prof Z.H.Khan) Chairman

(Prof M. B. Zaman) Secretary

Shatabdi Public School, Katari Hill Road, Gaya-823001 (Bihar) INDIA

9. यह अधिकार कि धर्म के नाते किसी को दुख न पहुंचाया जाए

अंतरात्मा और आस्था की आज़ादी के साथ इस्लाम ने लोगों को यह अधिकार भी दिया है कि उनके धार्मिक मामलों में कोई ऐसी बात न की जाए जिनसे उनका दिल दुखे ।

कुरआन में फ़रमाया गया है कि "जिन देवताओं को यह शिर्क करने वाले पुकारते हैं, उनको गालियां न दो" (कुरआन, 6:109)। यह मामला बुतों और देवताओं ही की हद तक ख़ास नहीं है, बल्कि किसी क़ौम के बुज़ुर्गों और रहनुमाओं के लिए भी यही हुक्म है । इस्लाम इस बात को पसन्द नहीं करता कि एक गिरोह अगर आपके नज़दीक बुरा अक़ीदा रखता है, और उन लोगों को अपना बुज़ुर्ग मानता है जो आपके नज़दीक बुज़ुर्गी के लायक़ नहीं हैं, तो आप उनको गालियां देने लगें और अपनी इस बेहूदा हरकत से उनके मानने वालों का दिल दुखाएं । मज़हबी मसलों में बहस करने से इस्लाम नहीं रोकता, मगर वह चाहता है कि यह तहज़ीब और सभ्यता के साथ हो ।

कुरआन में है–"किताब वालों से बहस करो मगर अच्छे तरीक़े से" (कुरआन, 29:46)। यह हुक्म सिर्फ़ किताब वालों ही के लिए नहीं है, बल्कि सब धर्म वालों के लिए है ।

10. यह अधिकार कि एक के जुर्म में दूसरा न पकड़ा जाए

इस्लाम इन्सान का यह हक़ भी क़रार देता है कि वह दूसरों के क़ुसूर में न धर लिया जाए । कुरआन में यह आम उसूल बयान किया गया है कि–"कोई बोझ उठाने वाला किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाता" (कुरआन, 6:165)। दूसरे शब्दों में इसका मतलब यह है कि हर आदमी अपने कर्म का ख़ुद ज़िम्मेदार है । दूसरे किसी आदमी का अगर उसके कर्म में कोई हिस्सा नहीं है तो उसकी ज़िम्मेदारी में वह नहीं पकड़ा जा सकता ।

11. हर ज़रूरतमंद का यह अधिकार है कि उसकी मदद की जाए

इस्लाम में ज़रूरतमंद लोगों को यह अधिकार दिया गया है कि उनकी मदद की जाए । कुरआन में है कि–"मुसलमानों के माल में हक़ है, हर उस आदमी का जो मदद मांगे और हर उस आदमी का जो महरूम हो" (कुरआन, 51:19)।

12. क़ानून की निगाह में बराबरी का अधिकार

इस्लाम अपने मुल्क के सभी नागरिकों को क़ानून की निगाह में बराबरी का अंधिकार देता है ।

13. हाकिमों का क़ानून से ऊपर न होना

इस्लाम स्पष्ट रूप से यह चाहता है कि छोटे से लेकर बड़े तक तमाम अफ़सर, यहां तक कि राष्ट्रपति भी क़ानून की निगाह में आम नागरिकों की तरह हों, कोई क़ानून से ऊपर न हो और किसी बड़ी से बड़ी हस्ती के मुक़ाबले में भी एक आम नागरिक अपने अधिकार का दावा लेकर उठ सके ।

HINDUSTAN TRAVELS

Prop.
ABDUL RASHID
Mob : 9425254335



Ambikapur to Bilaspur 4:30 (Morning)
Vishrampur to Bilaspur 4:25 (Morning)
Raipur to Ambikapur 9:20 (Night)

Address : Imlipara, Ambikapur, Surguja-497001 (C.G.)

हज़रत उमर (रज़ि॰) का बयान है कि मैंने ख़ुद अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) को अपनी ज़ात से बदला देते देखा है। बद्र की जंग की घटना है कि हुज़ूर (सल्ल॰) इस्लामी फ़ौज की सफ़ें सीधी करा रहे थे। हाथ में एक लकड़ी थी। संयोग से आगे बढ़े एक सिपाही को पीछे हटाते हुए आपकी लकड़ी उसके पेट में चुभ गयी। उसने कहा, आपने मुझे तकलीफ़ दी। आपने फ़ौरन अपना पेट खोल दिया कि तुम भी लकड़ी मेरे पेट में चुभो दो। उसने बढ़कर आप (सल्ल॰) का मुबारक पेट चूम लिया और अर्ज़ किया कि मैं यही चाहता था।

14. गुनाहों से बचने का अधिकार

इस्लाम अपनी हुकूमत में हर नागरिक को यह अधिकार भी देता है कि उसे किसी गुनाह या जुर्म करने का हुक्म न दिया जाए। और कोई हुकूमत या हाकिम या उस आदमी का कोई बड़ा अफ़सर उसे ऐसा कोई हुक्म दे तो वह उसकी फ़रमाबरदारी से इन्कार कर दे। उसका इन्कार इस्लामी क़ानून की निगाह में जुर्म नहीं है, बल्कि गुनाह करने का हुक्म देना जुर्म है, जिस पर ख़ुद वह हाकिम पकड़े जाने के क़ाबिल है, जिसने गुनाह करने का हुक्म दिया।

15. हुकूमत के काम में शामिल होने का अधिकार

इस्लाम की दृष्टि में दुनिया में इन्सानी हुकूमत अस्ल में ख़ुदा की नियाबत है और यह नियाबत किसी आदमी या ख़ानदान या जमाअत या तबक़े को नहीं, बल्कि पूरी इस्लामी मिल्लत को दी जाती है। क़ुरआन में आया है कि–"अल्लाह ने वादा किया है कि उन लोगों को जो तुम में से ईमान लाए हैं और जिन्होंने नेक काम किये हैं वह उन्हें ज़मीन में अपना ख़लीफ़ा (प्रतिनिधि) बनाएगा" (क़ुरआन, 24:55)।

मुद्रक एवं प्रकाशक ख़लील अहमद द्वारा दावत ट्रस्ट (रजि॰), D-314, दावत नगर, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव, जामिया नगर, नयी दिल्ली-110025 से प्रकाशित एवं भारत ऑफ़सेट, गली क़ासिम जान, बल्लीमारान, दिल्ली–6 से मुद्रित।
फोन: 011-26949430
संपादक : डॉ॰ मुहम्मद अहमद

संस्था की लिखित अनुमति के बिना सम्पूर्ण या आंशिक पुनर्प्रकाशन पूर्णतः प्रतिबंधित है।

With best compliments from:

Ph: 0651-2330144, 2330604
Mo. 09334706965

Azad Pharma
formerly
Azad Pharmacy

Timing :
10:00 a.m. to 09:00 p.m.

Sunday
Closed

B-7, Sainik Market, Main Road, Ranchi-834001 (Jharkhand)

نیک دُعائیں

کانتی کی ترقی کے لئے

سبق پڑھ پھر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا

لیا جائے گا تجھ سے کام دُنیا کی امامت کا

M/S BENGAL FOOTWEAR CO.

WHOLE SELLER OF ALL KIND OF
PVC, HAWAI EVA, SPORT AND SCHOOL SHOE ETC.

STOCKIST : MOTI, ENERGY, GABBAR,
JAGSON, LOOFA, KRP'S K-04 ETC.

39, RABINDRA SARANI,
KOLKATA-700 073

Posted on 20-21 February 2011
March 2011
E-mail: kantimonthly@hotmail.com
Publishing Date: 18.02.2011

हिन्दी भाषियों की मासिक पत्रिका
कान्ति

RNI 53372/91
DL(S)-01/3147/2009-2011
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT
License No. U (SE)-73/2009-11

ISMAIL
FIRM BRAND
FAST COLOUR
BEST QUALITY
80 x 80

☎ 22356616

I S M A I L
LUNGI STORES
Wholesaler & Retailer
In Madras Handloom Lungies

74, Rabindara Sarani, Kolkata -700073



M. M. Hashim

HAMEED
80 x 80

HAMEED & CO.
HOUSE FOR HANDLOOM LUNGIES & HANDKERCHIEFS

84, Rabindra Sarani, Kolkata-700 073, Phone : 2235 3850